

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है, यह राज्य के वित्त लेखे और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय संग्रह में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण, 2016-17 से 2020-21 तक के पाँच साल की अवधि के दौरान राज्य के वित्त की समग्र प्रवृत्ति, राज्य की ऋण स्थिरता एवं प्रमुख लोक लेखा लेनदेनों का विश्लेषण करता है।

2.1 2019-20 की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संग्रह में प्रमुख परिवर्तन

यह खंड पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के प्रमुख वित्तीय संग्रह में बड़े बदलावों का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। इनमें से प्रत्येक संकेतक का विश्लेषण निम्नलिखित कंडिकाओं में किया गया है।

तालिका 2.1: 2019-20 की तुलना में 2020-21 में प्रमुख वित्तीय संग्रहों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ राज्य के राजस्व प्राप्तियों में 3.17 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ राज्य के स्व कर प्राप्तियों में 0.61 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ स्वयं करेत्तर प्राप्तियों में 67.62 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ संघीय करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी में 5.59 प्रतिशत की कमी। ✓ भारत सरकार से सहायता अनुदान में 17.78 प्रतिशत की वृद्धि।
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ✓ राजस्व व्यय में 10.69 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 11.08 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 10.36 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 10.82 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सहायता अनुदान पर व्यय में 23.27 प्रतिशत की वृद्धि।
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ✓ पूँजीगत व्यय में 47.99 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 41.95 प्रतिशत की कमी। ✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 125.92 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 47.48 प्रतिशत की वृद्धि।
ऋणों और अग्रिमों	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ऋण एवं अग्रिम के संवितरण में 67.19 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ ऋण एवं अग्रिम की वसूली में 2598.78 प्रतिशत की वृद्धि।
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> ✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 23.23 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ लोक ऋण की अदायगी में 3.23 प्रतिशत की कमी।
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none"> ✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 22.06 प्रतिशत की कमी। ✓ लोक लेखे के संवितरण में 22.89 प्रतिशत की कमी।
नकद शेष	<ul style="list-style-type: none"> ✓ पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान नकद शेष में ₹ 286.28 करोड़ (48.68 प्रतिशत) की कमी।

2.2 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

यह खंड पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के धन के स्रोतों और अनुप्रयोग के घटकों की तुलना करता है। विवरण **परिशिष्ट 2.1** में शामिल हैं।

तालिका 2.2: 2019-20 और 2020-21 के दौरान निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)


विवरणी	2019-20	2020-21	वृद्धि/कमी
स्रोत			
आरंभिक नकद शेष	20,837	24,913	4,076
राजस्व प्राप्तियाँ	1,24,233	1,28,168	3,935
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	30	820	790
लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	22,035	29,035	7000
लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	(-) 3,235	745	3980
कुल	1,63,900	1,83,681	19,781
अनुप्रयोग			
राजस्व व्यय	1,26,017	1,39,493	13,476
पूँजीगत व्यय	12,304	18,209	5,905
ऋणों और अग्रिमों का संवितरण	666	1,114	448
अंतिम नकद शेष	24,913	24,865	(-) 48
कुल	1,63,900	1,83,681	19,781

(स्रोत: वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे)

निधि का अनुप्रयोग⁴ (₹ 1,58,816 करोड़) निधि के स्रोतों⁵ (₹ 1,28,988 करोड़) से अधिक था, यह इंगित करता है कि सरकार निधि के उपलब्ध स्रोत के माध्यम से निधि के अपने अनुप्रयोग को पूरा करने में असमर्थ है। इस अंतर को कम करने के लिए, राज्य को लोक ऋण के माध्यम से अपनी प्राप्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 23.23 प्रतिशत की वृद्धि (₹ 29,145 करोड़ से ₹ 35,915 करोड़) करनी पड़ी। चार्ट 2.1 में वर्ष 2020-21 के दौरान संचित निधि से प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रतिशत के रूप में दिया गया है।

चार्ट 2.1: संसाधनों का स्रोत/अनुप्रयोग

(प्रतिशत में)



(स्रोत: वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे)

2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा और भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल हैं।

⁴ राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण और अग्रिम का वितरण।

⁵ राजस्व प्राप्ति + ऋण और अग्रिम की वसूली।

2. **पूँजीगत प्राप्तियों** में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ, जैसे विनिवेश से प्राप्त आय, ऋण और अग्रिम की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों राज्य की संचित निधि का हिस्सा हैं।

3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ:** कुछ लेनदेन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण, आदि के संबंध में प्राप्तियाँ और संवितरण हैं जो संचित निधि का हिस्सा नहीं होती हैं।


इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और यह राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। यहाँ, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के पास निधि के रूप में उपयोग के लिए उपलब्ध रहती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

यह समग्र प्राप्तियों की संरचना प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, पूँजीगत और राजस्व प्राप्तियों, लोक लेखे में उपलब्ध धन (इससे किए गए निवल संवितरण) का उपयोग सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए करती है।

चार्ट 2.2: 2020-21 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे)

2020-21 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों, पूँजीगत प्राप्तियों और निवल लोक लेखा प्राप्तियों का योगदान कुल प्राप्तियों का क्रमशः 77.37 प्रतिशत, 22.18 प्रतिशत और 0.45 प्रतिशत था। इस पर विस्तृत चर्चा आगे की कड़िकाओं में की गई है।

2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ

यह कुल राजस्व प्राप्तियों की घटकवार प्रवृत्ति को दर्शाता है। तदोपरान्त यह केन्द्र सरकार से प्राप्तियों एवं राज्य की अपनी प्राप्तियों की विभाजित प्रवृत्ति उपलब्ध कराता है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि एवं प्रवृत्ति

जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति और राजस्व प्राप्तियों की संरचना तालिका 2.3 में दी गई है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व प्राप्तियाँ (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	1,05,585	1,17,447	1,31,794	1,24,233	1,28,168
आर0आर0 की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.84	11.23	12.22	(-) 5.74	3.17
स्व कर राजस्व (₹ करोड़ में)	23,742	23,137	29,408	30,158	30,342
करेत्तर राजस्व (₹ करोड़ में)	2,403	3,507	4,131	3,700	6,201
स्व कर राजस्व का वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 5.39	1.91	25.88	0.95	7.93
सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य (₹ करोड़ में) (2011-12 श्रृंखला)	4,21,051	4,68,746	5,27,976	5,94,016	6,18,628
जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.31	11.33	12.64	12.51	4.14
आर0आर0 / जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत)	25.08	25.06	24.96	20.91	20.72
उत्प्लावकता ⁶ अनुपात ⁷					
जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता	0.74	0.99	0.97	(-) 0.46	0.77
जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राज्य का स्वयं राजस्व उत्प्लावकता	(-) 0.40	0.17	2.05	0.08	1.92

(स्रोत: बिहार सरकार के अंतर्गत योजना एवं विकास विभाग के जी0एस0डी0पी0 आँकड़े तथा संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)


- जैसा कि तालिका 2.3 से देखा जा सकता है, राज्य का स्व राजस्व उत्प्लावकता, विगत वर्ष की तुलना में एक से अधिक हो गई। जैसे-जैसे जी0एस0डी0पी0 बढ़ता है, राज्य सरकार की अपनी राजस्व जुटाने की क्षमता भी बढ़नी चाहिए। इससे यह भी पता लगता है कि राज्य जी0एस0डी0पी0 के साथ तालमेल रखते हुए 2020-21 के दौरान अपने स्वयं के राजस्व संसाधनों को बढ़ाने में सक्षम था। हालाँकि, 2020-21 के दौरान करेत्तर राजस्व के संग्रह में वृद्धि ने राजस्व उत्प्लावन को उच्च स्तर तक बढ़ा दिया जो कि बजट अनुमानों के अनुमानित आँकड़े से अधिक था।
- राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि का कारण सहायता अनुदान के हिस्से में ₹ 4,795.26 करोड़ और राज्य के करेत्तर राजस्व में ₹ 2,501.78 करोड़ की वृद्धि थी। इस वर्ष के दौरान, जी0एस0डी0पी0 के संबंध में राजस्व उत्प्लावन सकारात्मक रहा। राजस्व प्राप्तियों की जी0एस0डी0पी0 से प्रतिशतता घटकर 20.72 प्रतिशत हो गयी जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान सबसे कम थी।
- स्वयं राजस्व प्राप्तियों का संग्रह ₹ 36,543 करोड़ था जो पंद्रहवें वित्त आयोग (एफ0सी0) के ₹ 44,167 करोड़ के अनुमान और ₹ 39,989 करोड़ के बजट अनुमान से बहुत दूर था।

संघीय करों और सहायता अनुदान की निवल आय का योग राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 71 प्रतिशत होता है। राजस्व प्राप्ति का मासिक प्रवाह (घटक वार) चार्ट 2.3 में दर्शाया गया है।

⁶ उत्प्लावकता अनुपात, आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में एक राजकोषीय चर की लोच में प्रतिक्रिया के परिमाण को इंगित करता है।

⁷ राजस्व उत्प्लावकता, जी0एस0डी0पी0 के वृद्धि दर के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति के वृद्धि दर को इंगित करता है।


चार्ट 2.3: राजस्व प्राप्ति का मासिक प्रवाह (घटक वार)



(स्रोत: वर्ष 2020-21 के मासिक सिविल लेखे)

राज्य सरकार को मुख्य रूप से माह जून, 2020 (22.53 प्रतिशत) और माह मार्च, 2021 (25.28 प्रतिशत) में संघीय करों की निवल आय प्राप्त हुई थी। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान (जी0आई0ए0) का बड़ा हिस्सा भी सितंबर 2020 (26.90 प्रतिशत) और मार्च 2021 (40.02 प्रतिशत) में प्राप्त हुआ था। इस कारण से, राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों में उक्त अवधि में निधियों का प्रवाह अधिक हुआ है, जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के शेष महीनों में अप्रैल 2020 और मई 2020 को छोड़कर, जहां प्राप्ति शून्य थी, निधि प्राप्तियाँ नाममात्र की थीं। अतः राज्य ने अपना खर्च अप्रैल 2020 से मई 2020 तक अपने नकद शेष निवेश खातों, राज्यों के अपने कर राजस्व और करेत्तर राजस्व से पूरा किया। जी0एस0डी0पी0 के संबंध में राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति के साथ-साथ सापेक्ष हिस्सेदारी को चार्ट 2.4 में दर्शाया गया है।


चार्ट 2.4: जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों के साथ-साथ उसके हिस्सेदारी की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे और बिहार सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण)

वर्ष 2020-21 में राजस्व प्राप्तियाँ जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में 2019-20 की तुलना में कम हो गई, जो राज्य को पिछले वर्ष केन्द्रीय करों की हिस्सेदारी से प्राप्ति (₹ 63,406.33 करोड़) की तुलना में इस वर्ष की प्राप्ति (₹ 59,861.41 करोड़) के कम होने के कारण थी। राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति को चार्ट 2.5 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.5: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य की राजस्व प्राप्तियों की सामान्य प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं:

- राजस्व प्राप्तियों के प्रमुख घटक संघीय करों और शुल्कों का हिस्सा (46.71 प्रतिशत) और भारत सरकार से सहायता अनुदान (24.78 प्रतिशत) थे। राजस्व प्राप्तियों का केवल 28.51 प्रतिशत राज्य के अपने राजस्व का हिस्सा है। यह इस तथ्य का द्योतक है कि बिहार की वित्तीय स्थिति काफी हद तक कर हस्तांतरण और भारत सरकार से सहायता अनुदान से प्रभावित है।
- राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान ₹ 3,936 करोड़ (3.17 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से में ₹ 3,545 करोड़ (5.59 प्रतिशत) की कमी हुई, जबकि कर राजस्व में ₹ 184 करोड़ (0.61 प्रतिशत), करेत्तर राजस्व में ₹ 2,501 करोड़ (67.62 प्रतिशत) और भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 4,795 करोड़ (17.78 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2.3.2.2 राज्य के स्व संसाधन

अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन उसके अपने संसाधनों के संदर्भ में किया जा सकता है जिसमें उसके स्व कर और करेत्तर स्रोतों से राजस्व शामिल है। पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुसार, वर्ष 2020-21 के लिए स्व कर राजस्व और करेत्तर राजस्व का अनुमान ₹ 39,406 करोड़ और ₹ 4,761 करोड़ था जो कि पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 12.76 प्रतिशत और 11.00 प्रतिशत अधिक था।

स्व कर राजस्व

राज्य के स्व कर राजस्व में राज्य जी0एस0टी0, मुद्रांक शुल्क और पंजीकरण शुल्क, वाहनों पर कर, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, भू-राजस्व, माल और यात्रियों पर कर आदि शामिल हैं।

⁸ 2019-20 के लिए XIV वित्त आयोग का कर राजस्व अनुमान ₹ 34,946 करोड़ तथा करेत्तर राजस्व अनुमान ₹ 4,289 करोड़ था।

तालिका 2.4: राज्य के स्व कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	स्पार्क लाइन
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	11,873	8,298	6,584	6,121	6,032	
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	0	6,747	15,288	15,801	16,050	
राज्य उत्पाद शुल्क	30	(-3)	(-10)	(-4)	(-4)	
मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क	2,982	3,726	4,189	4,661	4,206	
वाहन कर	1,257	1,599	2,086	2,713	2,268	
भू-राजस्व	971	779	477	275	302	
माल एवं यात्रियों पर कर	6,245	1,645	399	23	6	
अन्य कर*	384	346	395	568	1,482	
योग	23,742	23,137	29,408	30,158	30,342	

*अन्य करों में शामिल हैं⁹

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)


उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- बिक्री, व्यापार, आदि और माल और यात्रियों पर करों में घटती प्रवृत्ति, जुलाई 2017 में माल और सेवा कर (जी0एस0टी0) के कार्यान्वयन के कारण थी। माल और यात्रियों पर कर और बिक्री, व्यापार पर आंशिक रूप से करों को जी0एस0टी0 में शामिल किया गया था। एस0जी0एस0टी0 में वृद्धि मुख्य रूप से कर और इनपुट एस0जी0एस0टी0 और आई0जी0एस0टी0 का टैक्स क्रेडिट क्रॉस यूटिलाइजेशन के तहत अधिक प्राप्तियों के कारण हुई थी। राज्य उत्पाद शुल्क में कमी अप्रैल 2016 से राज्य में लगाई गई शराबबंदी के कारण हुई थी। राज्य उत्पाद शुल्क के तहत दिखाई देने वाली ऋणात्मक शेष राशि वापसी के कारण थी।
- न्यायिक एवं गैर-न्यायिक मुद्रांकों की बिक्री में, दस्तावेजों को छापने पर शुल्क और मुद्रांकों एवं पंजीकरण शुल्क के तहत दस्तावेजों के पंजीकरण से शुल्क और भारतीय एवं राज्य मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्राप्तियों में वाहनों पर कर के तहत क्रमशः ₹ 454.66 करोड़ एवं ₹ 445 करोड़ का कम संग्रह देखा गया।
- 2016-17 से 2020-21 तक भू-राजस्व में कमी (69 प्रतिशत) मुख्य रूप से उप शीर्षों 'सर्वेक्षण और बंदोबस्त परियोजना से प्राप्ति (72 प्रतिशत)', 'भूमि अधिग्रहण प्रतिष्ठान के लिए वसूली (88 प्रतिशत)' और 'खास महल भूमि पर उपकर का संशोधन (58 प्रतिशत)' लघु शीर्ष 800 के तहत - अन्य प्राप्तियाँ के तहत राजस्व में कमी के कारण हुई।
- बिजली पर करों एवं शुल्कों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 915.56 करोड़ की वृद्धि से अन्य करों में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
- मासिक सिविल लेखा के अनुसार, राज्य को अप्रैल 2020 और मई 2020 में कम राजस्व प्राप्त हुआ है, जबकि जनवरी 2021 (10.43 प्रतिशत) और मार्च 2021 (24.69 प्रतिशत) के महीनों में एक बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ।

⁹ व्यवसायों, व्यापारों, पेशा और रोजगार पर कर, बिजली पर शुल्क एवं कर तथा वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क।

वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान राज्य के स्व कर राजस्व और विकास दर को नीचे चार्ट 2.6 में दर्शाया गया है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान 2018-19 में वृद्धि दर सबसे अधिक थी।

चार्ट 2.6: 2016-21 के दौरान स्व-कर राजस्व में वृद्धि



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस0जी0एस0टी0)

राज्य सरकार ने 01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) अधिनियम लागू किया। जी0एस0टी0 (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के अनुसार, केंद्र सरकार राज्यों को जी0एस0टी0 के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व नुकसान के लिए 2017-18 से शुरू होने वाले पाँच साल की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति करेगी। राज्य को देय मुआवजे की गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम राजस्व आँकड़े प्राप्त होने और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा अंकेक्षित किये जाने के बाद की जाएगी। किसी राज्य के किसी भी वर्ष के लिए संरक्षित राजस्व की गणना उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित विकास दर (14 प्रतिशत प्रति वर्ष) को लागू करके की जाएगी। जी0एस0टी0 के तहत सम्मिलित करों के राजस्व आँकड़ों की गणना के लिए आधार वर्ष 2015-16 निर्धारित किया गया था।

बिहार के मामले में, आधार वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व आँकड़ा ₹ 12,620.56 करोड़ था। आधार वर्ष के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 (1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021) के लिए अनुमानित राजस्व ₹ 24,299.80 करोड़ था। अनुमानित राजस्व के मुकाबले, जी0एस0टी0 के तहत राजस्व प्राप्ति ₹ 16,050.23 करोड़ (आई0जी0एस0टी0 के अग्रिम हिस्से के रूप में प्राप्त ₹ 1,197.51 करोड़ को शामिल करते हुए) थी। बिहार सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति ₹ 4,359.28 करोड़ की सहायता अनुदान राजस्व प्राप्तियों के रूप में तथा ₹ 3,905 करोड़ बैंक-टू-बैंक ऋण जिसका पुनर्भुगतान देयता, ऋण प्राप्ति के अन्तर्गत नहीं था, प्राप्त किया।

जी0एस0टी0एन0 (वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क) के अखिल भारतीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय के बावजूद, लेखापरीक्षा को केवल जी0एस0टी0 डेटा तक सीमित पहुंच प्रदान की गई थी।

बकाया राजस्व एवं आकलन की बकाया राशि का विश्लेषण

राजस्व का बकाया सरकार द्वारा राजस्व की वसूली में देरी को दर्शाता है। इसी प्रकार, आकलन का बकाया राशि संभावित राजस्व को दर्शाती है जो निर्धारण में विलम्ब के कारण अवरुद्ध है। ये दोनों राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और फलस्वरूप राजस्व घाटे को प्रभावित करते

हैं। राजस्व अर्जित करने वाले केवल दो विभागों ने आँकड़ा उपलब्ध कराया है। बकाया राजस्व का विवरण तालिका 2.5 में है।

तालिका 2.5: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	राजस्व शीर्ष	विभाग का नाम	31 मार्च 2020 तक कुल बकाया राशि	31 मार्च 2021 तक कुल बकाया राशि	पाँच साल से अधिक समय से बकाया राशि
1.	वैट/बिक्री व्यापार आदि	वाणिज्यिक कर	3,696.69	2,262.17	उपलब्ध नहीं
2.	गेर लौह खनन और धातुकर्म उद्योग	खान और भूविज्ञान	360.33	387.71	246.62
योग			4,057.02	2,649.88	

(स्रोत: बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

राजस्व के बकाया के लिए देखे गए विभिन्न कारणों में भू-राजस्व के बकाया की वसूली, न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा रोकी गई वसूली, निर्धारित/व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण रोकी गई वसूली आदि थे।

बकाया का आकलन

राज्य कर विभाग द्वारा प्रस्तुत बकायों के आकलन के मामलों का विवरण तालिका 2.6 में नीचे दिया गया है।

तालिका 2.6: बकायों का आकलन

विभाग	वर्ष के आरंभ में मामले	वर्ष के दौरान नए मामले	मूल्यांकन के लिए कुल देय	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष राशि	निपटान का प्रतिशत
खनन और भू-विज्ञान	23,302	556	23,858	17	23,841	0.07
वाणिज्यिक कर विभाग	82,116	12,854	94,970	33,512	61,458	35.29

(स्रोत: बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन, प्रतिदाय के मामलों आदि का विवरण

विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, मामलों को अंतिम रूप देना और अतिरिक्त कर की मांग राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। प्रतिदाय मामलों के निस्तारण में तत्परता विभाग के निष्पादन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। धन प्रतिदाय के अत्यधिक मामलों के लंबित होने से लालफीताशाही, निहित स्वार्थ, रिश्वत के प्रचलन आदि का संकेत मिलता है। विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन का विवरण नीचे तालिका 2.7 दिया गया है।

तालिका 2.7: पता लगाए गए कर का अपवंचन

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	लंबित मामले 31 मार्च 2020 तक	पहचान किए गए मामले 31 मार्च 2021 तक	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जाँच पूरी हुई और जुर्माने आदि के साथ अतिरिक्त मांग उठाई गई		अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या 31 मार्च 2021 तक
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	बिक्री, व्यापार पर कर/ जी०एस०टी०	531	2,095	2,626	2,098	50.27	497
2.	खनन और भू-विज्ञान	23,302	556	23,858	17	100.70	23,841

(स्रोत: बिहार सरकार के संबंधित विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

जैसा कि ऊपर की तालिका से देखा जा सकता है, खनन और भू-विज्ञान विभाग द्वारा केवल 17 मामलों के लिए ₹ 100.70 करोड़ के जुर्माने के साथ अतिरिक्त मांग की गई थी। यह प्रत्येक मामले से जुड़ी उच्च राशि को इंगित करता है अतः विभाग के लिए लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाना अनिवार्य हो जाता है।

प्रतिदाय के लंबित मामले

विभागों द्वारा प्रतिवेदित प्रतिदाय मामलों के लंबित मामलों का विवरण तालिका 2.8 में दिया गया है।

तालिका 2.8: प्रतिदाय के लंबित मामले

क्रम सं०	विवरण	जी०एस०टी०		बिक्री कर/वैट	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	वर्ष की शुरुआत में बकाया दावे	323	1.87	1,448	121.05
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	1,414	743.01	437	126.25
3.	वर्ष के दौरान दिया गया प्रतिदाय	1,039	705.66	477	120.60
4.	वर्ष के दौरान अस्वीकार कर दिया	561	35.30	614	48.87
5.	वर्ष के अंत में बकाया शेष राशि	137	3.92	794	77.83

(स्रोत: बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की जानकारी)

राजस्व बकाया, कर निर्धारण बकाया, कर अपवंचन एवं प्रतिदाय मामलों पर केवल दो विभागों ने आँकड़े उपलब्ध कराये हैं। बिहार सरकार के प्रमुख राजस्व अर्जक विभागों को दिए गए कई पत्रों के बावजूद, संपूर्ण आँकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा समग्र रूप से राज्य की वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं कर सका।

करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ, खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि शामिल हैं। राज्य के करेत्तर राजस्व के घटकों को तालिका 2.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.9: राज्य के करेत्तर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	स्पार्क लाईन
ब्याज प्राप्तियाँ	939.91	1,577.24	1,371.94	1,416.48	3,241.97	
लाभांश तथा लाभ	3.73	1.34	13.67	1.62	603.01	
अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ	1,459.48	1,928.16	2,744.95	2,281.50	2,356.40	
(अ) मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	16.58	27.43	52.77	24.32	40.13	
(ब) सड़क परिवहन	0.19	0.17	0.19	0.20	0.11	
(स) शहरी विकास	0.71	7.43	0.94	4.80	0.15	
(द) शिक्षा	17.09	21.47	18.85	17.13	11.50	
(इ) गैर लौह खनन धातुकर्म	997.60	1,082.67	1,560.65	1,572.07	1,708.93	
(फ) अन्य या विविध	427.31	788.99	1,111.55	662.98	595.58	
कुल	2,403.12	3,506.74	4,130.56	3,699.60	6,201.38	


(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित देखा गया:

- 2020-21 में करेत्तर राजस्व ₹ 6,201.38 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 2,501.78 करोड़ (67.62 प्रतिशत) अधिक और सकल राजस्व प्राप्ति का 4.84 प्रतिशत था।
- यह देखा गया था कि समेकित निक्षेप निधि के अर्जित ब्याज ₹ 2,600 करोड़ के मोचन के कारण ब्याज प्राप्तियों में वृद्धि हुई और लोक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संचित लाभ से ₹ 603.01 करोड़ का लाभांश जारी करने के कारण लाभांश तथा लाभ में वृद्धि हुई।

वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान राज्य के करेत्तर राजस्व और इसमें वृद्धि दर को नीचे चार्ट 2.7 में दर्शाया गया है। पिछले पाँच वर्षों में 2020-21 में वृद्धि दर सबसे अधिक थी।

चार्ट 2.7: करेत्तर राजस्व एवं वृद्धि दर




(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2.3.2.3 केंद्र से अंतरण

केंद्र से निधि का अंतरण मुख्य रूप से वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर निर्भर करता है और पिछले पाँच वर्षों से, यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों के 70 प्रतिशत से अधिक था। केंद्र सरकार दो तरीकों से राज्यों को धन का अंतरण करती है (i) राज्यों को केंद्रीय करों का हस्तांतरण और (ii) केंद्र द्वारा दी गई सहायता अनुदान। भारत सरकार से अंतरण का विवरण नीचे चार्ट 2.8 में दिया गया है।

चार्ट 2.8: केंद्र से अंतरण की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट से देखा जा सकता है,

- केंद्र से अंतरण 2011-12 में ₹ 37,818.21 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 91,625.29 करोड़ हो गया। हालाँकि, भारत सरकार से प्राप्त केंद्रीय करों के हिस्से में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 3,544.92 करोड़ (5.59 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण कमी हुई।
- केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में कमी ने राज्य की राजस्व प्राप्तियों को प्रमुख रूप से प्रभावित किया क्योंकि यह पूर्व में राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति का लगभग 70 प्रतिशत था।
- केंद्रीय कर अंतरण का बजट अनुमान ₹ 91,180.60 करोड़ था, जबकि 2020-21 के दौरान वास्तविक प्राप्ति केवल ₹ 59,861.41 करोड़ थी। केंद्रीय कर अंतरण की प्राप्ति में कमी के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक अनुमानित राजस्व अधिशेष राजस्व घाटे में परिवर्तित हो गया।
- वर्ष 2020-21 में अधिक राजस्व व्यय के कारण राजकोषीय घाटा अधिक था।

केंद्रीय कर अंतरण

केंद्र द्वारा किए गए वास्तविक अंतरण की तुलना में चौदहवें वित्त आयोग (2015-16 से 2019-20) और पंद्रहवें वित्त आयोग (2020-21) द्वारा अनुशंसित केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी को तालिका 2.10 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.10: वित्त आयोग के अनुमान की तुलना में वास्तविक हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त आयोग के अनुमान	राज्य को अनुमानित कर हिस्सा	वित्त आयोग की रिपोर्ट में अनुमान	वास्तविक हस्तांतरण	अंतर	% कमी
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
2015-16	सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की शुद्ध आय का 9.665 प्रतिशत और साझा करने योग्य सेवा कर की शुद्ध आय का 9.787 प्रतिशत (चौदहवें एफ.सी. की सिफारिशों के अनुसार)	5,79,282	56,694	48,923	7,771	13.70
2016-17		6,68,425	65,419	58,881	6,538	9.99
2017-18		7,72,304	75,585	65,083	10,502	13.89
2018-19		8,93,430	87,440	73,603	13,837	15.82
2019-20		10,34,745	1,01,270	63,406	37,864	37.39
2020-21	सभी साझा करने योग्य करों की शुद्ध आय का 10.061 प्रतिशत (पंद्रहवें एफ.सी. की सिफारिशों के अनुसार)	8,55,176	86,039	59,861	26,178	30.43

(स्रोत: वित्त आयोग की रिपोर्ट और वित्त लेखे)

इस प्रकार, वर्ष 2020-21 के लिए वित्त आयोग के अनुमान की तुलना में वास्तविक कर हस्तांतरण 30.43 प्रतिशत कम था। नतीजतन, राज्य को जरूरी निधि के अनुप्रयोग को पूरा करने के लिए अधिक लोक ऋण उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2016-17 से 2020-21 के दौरान विभिन्न घटकों के तहत संघीय करों में राज्य का हिस्सा तालिका 2.11 में दिखाया गया है।

तालिका 2.11: केंद्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	स्पाक लाईन
केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (सी0जी0एस0टी0)	-	925.48	18,166.79	17,992.97	17,788.67	
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई0जी0एस0टी0)	-	6,572	1,449.80	0	0	
निगम कर	18,889.20	19,935.56	25,596.84	21,618.94	18,062.14	
निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर	13,128.06	16,834.16	18,850.99	16,939.90	18,517.49	
सीमा शुल्क	8,125.40	6,570.00	5,217.40	4,019.07	3,179.93	
संघीय उत्पाद शुल्क	9,278.51	6,867.50	3,467.28	2,794.34	2,012.03	
सेवा कर	9,416.01	7,379.29	673.31	0.00	258.09	
अन्य कर#	43.41	(-) 0.61	180.72	41.11	43.06	
केंद्रीय कर अंतरण	58,880.59	65,083.38	73,603.13	63,406.33	59,861.41	
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	20.35	10.53	13.09	(-) 13.85	(-) 5.59	
राजस्व प्राप्तियों में केंद्रीय कर अंतरण की प्रतिशतता	55.77	55.42	55.85	51.04	46.70	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

#अन्य करों में धन पर कर, आय और व्यय पर अन्य कर, वस्तुओं और सेवाओं के अन्य कर और शुल्क शामिल हैं।

केंद्रीय कर अंतरण में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 3,544.92 करोड़ (5.59 प्रतिशत) की कमी आई है, जो राज्य को सौंपे गए निवल आय के हिस्से में कमी के कारण है। आई0जी0एस0टी0 के हिस्से और आई0जी0एस0टी0 से अग्रिम हिस्से को मुख्य शीर्ष 0006 एस0जी0एस0टी0 के तहत लघु शीर्ष 106 और 110 के रूप में लेखांकित किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान

वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार को सहायता अनुदान और केंद्रीय करों और शुल्कों का हिस्सा प्राप्त होता है। भारत सरकार के अनुदानों का विवरण तालिका 2.12 में नीचे दिया गया है।

तालिका 2.12: भारत सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
गैर-योजना अनुदान	4,505.51	(-) 5.00	-	-	-
राज्य योजना कार्यक्रमों के लिए अनुदान	13,952.92	(-) 2.20	(-) 2.82	(-) 40.27	(-) 33.57
केंद्रीय योजना कार्यक्रमों के लिए अनुदान*	1,422.91	-	-	-	-
केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए अनुदान (सी0एस0एस0)	-	13,312.26	16,322.72	15,302.04	16,609.56
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	677.68	(-) 1.00	-	-	-
वित्त आयोग अनुदान	-	4,525.06	4,775.20	7,343.61	8,850.00
अन्य अंतरण/राज्यों/विधान सभा वाले केन्द्र शासित प्रदेश को अनुदान	-	7,891.01	3,556.52	4,363.24	6,337.89
कुल	20,559.02	25,720.13	24,651.62	26,968.62	31,763.88
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशतता	5.08	25.10	(-) 4.15	9.40	17.78
राजस्व प्राप्तियों में अनुदान का प्रतिशतता	19.47	21.90	18.70	21.71	24.78

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

* वर्ष 2017-18 से योजना और गैर-योजना अनुदानों के नामकरण को हटा दिए जाने और राज्यों को सी0एस0एस0, वित्त आयोग अनुदान और अन्य अनुदानों के लिए अनुदान द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के बाद से कोई आंकड़े नहीं हैं।

योजना और गैर-योजना के अंतर (2017-18) को हटाने के साथ, केंद्र से सहायता अनुदान में केवल (i) वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित अनुदान (ii) आपदा प्रतिक्रिया के लिए अनुदान और (iii) केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं का केंद्रीय हिस्सा के लिए अनुदान शामिल हैं। जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है,

- भारत सरकार से सहायता अनुदान में यह वृद्धि मुख्य रूप से 'अन्य अंतरण/अनुदान' में वृद्धि (45.25 प्रतिशत) के कारण थी जिसमें वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जी0एस0टी0 मुआवजा (23.67 प्रतिशत), एन0डी0आर0एफ0 पर योगदान (126.92 प्रतिशत) और वित्त आयोग अनुदान (20.51 प्रतिशत) के तहत जारी अनुदान शामिल थे।
- 2016-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार से कुल अनुदान 18.70 प्रतिशत से 24.78 प्रतिशत के बीच रहा।

चौदहवें और पंद्रहवें वित्त आयोग से अनुदान

चौदहवें और पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान राज्य को स्थानीय निकायों, एस0डी0आर0एफ0 के लिए और राज्यों को करों के अंतरण के बाद होने वाली किसी भी राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया गया था। वास्तविक प्राप्ति की तुलना में भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण तालिका 2.13 में दिया गया है।

तालिका 2.13: अनुशंसित, वास्तविक और सहायता अनुदान जारी करना

(₹ करोड़ में)

	अनुशंसा		भारत सरकार द्वारा वास्तविक जारी		राज्य द्वारा जारी	
	XIV एफ0सी0	XV एफ0सी0	XIV एफ0सी0	XV एफ0सी0	XIV एफ0सी0	XV एफ0सी0
	15-20	20-21	15-20	20-21	15-20	20-21
स्थानीय निकाय (पी0आर0आई0)	21,017.83	5,018	18,916.06	5,018	18,916.06	5,018
मूलभूत अनुदान	18,916.05	-	18,916.06	-	18,916.06	-
निष्पादन अनुदान	2,101.78	-	0.00	-	0.00	-
शहरी स्थानीय निकाय को अनुदान	2,676.24	2,416	2,227.63	2,416	2,227.63	2,416
मूलभूत अनुदान	2,140.99	-	2,227.63	-	2,227.63	-
निष्पादन अनुदान	535.25	-	0.00	-	0.00	-
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि ¹	2,591	1,888	2,343.24	1,416	2,343.24	1,416
		(1,416+472)				

*कुल अनुदान के 25 प्रतिशत के राज्य के हिस्से सहित।

(स्रोत: XIV और XV वित्त आयोग का रिपोर्ट और वित्त लेखा)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य को प्राथमिक रूप से पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिए अनिवार्य मानदण्डों को प्राप्त न करने के कारण चौदहवें वित्त आयोग अनुदान¹⁰ का अपना पूरा हिस्सा नहीं मिल सका। इसके अलावा, वित्त लेखा 2020-21 के अनुसार, पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ₹ 5,018 करोड़ जारी किए गए थे।

2.3.3 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से प्राप्त आय, ऋण एवं अग्रिम की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। वर्ष 2016-17 से 2020-21 के लिए पूँजीगत प्राप्तियों और उनकी संरचना का विवरण तालिका 2.14 में दिया गया है।

2020-21 के दौरान, पूँजीगत प्राप्तियाँ राज्य की कुल प्राप्तियों (₹ 1,64,903.84 करोड़) का 22.27 प्रतिशत थी। राज्य सरकार ने खुले बाजार और अन्य वित्तीय संस्थानों से ₹ 29,412.30 करोड़ उधार लिए और भारत सरकार से ₹ 6,502.77 करोड़ का ऋण लिया।

तालिका 2.14: पूँजीगत प्राप्तियों की संरचना और वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
पूँजीगत प्राप्तियाँ	21,600	13,191	20,493	29,175	36,735
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	23	22	1,825	30	820
लोक ऋण प्राप्तियाँ	21,577	13,169	18,668	29,145	35,915
आंतरिक ऋण	20,065	11,771	16,134	27,866	29,412
वृद्धि दर	14.23	(-)41.34	37.07	72.72	5.55
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,512	1,398	2,534	1,279	6,503
वृद्धि दर	85	(-) 8	81	(-) 50	408.44
ऋण पूँजी प्राप्तियों की वृद्धि दर	17	(-) 39	42	56	23.23
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	21	(-) 4	8,195	(-) 98	2,633.33
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	13.31	11.33	12.64	12.51	4.14
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	17	(-) 39	55	42	25.91

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से भारत सरकार से ऋण और अग्रिम एवं आंतरिक ऋण में वृद्धि के कारण हुई। पूँजीगत प्राप्तियों में सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों का हिस्सा 97.77 प्रतिशत था। पिछले वर्षों की तुलना में ऋण पूँजी प्राप्तियों की वृद्धि दर अस्थिर थी।

¹⁰ लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे का प्रस्तुतिकरण, स्व कर में वृद्धि, सेवा स्तरीय मानदंड का प्रकाशन आदि।

वर्तमान वर्ष में ₹ 29,412 करोड़ का आंतरिक ऋण लिया गया और पूँजीगत प्राप्तियों में इसका योगदान 80.06 प्रतिशत था। भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में 408.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसमें जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति के विरुद्ध क्रेडिट (₹ 3,905.00 करोड़), विशेष सहायता के रूप में राज्यों को पूँजीगत व्यय हेतु सहायता (₹ 843 करोड़) एवं ब्लॉक ऋण के रूप में 1989-90 से प्राप्त ब्लॉक उधार (₹ 2,050.24 करोड़) मुख्य घटक थे।

वर्तमान वर्ष में जी0एस0डी0पी0 के संबंध में निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ (4.69 प्रतिशत) पिछले वर्ष (3.70 प्रतिशत) की तुलना में अधिक उत्प्लावक रही। यह 2020-21 में ₹ 7,560.50 करोड़ (25.91 प्रतिशत) की पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि के कारण था।

ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली के रूप में गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियों, ने पिछले वर्ष की तुलना में लोक क्षेत्र के उद्यमों/निकायों/प्राधिकरणों से ऋण की वसूली के कारण, वृद्धि दर्शायी थी।

यद्यपि, पिछले वर्ष की तुलना में पूँजीगत प्राप्तियों में 25.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसी अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय में 47.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार को राजकोषीय जिम्मेदारी कानून के तहत व्यय करने की जिम्मेदारी निहित होती है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की चल रही वित्तीय सुधार और समेकन प्रक्रिया पूँजीगत बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए निर्दिष्ट व्यय की कीमत पर नहीं है।

2.4.1 व्यय के घटक एवं वृद्धि

समग्र व्यय और उसके घटकों का जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के साथ प्रवृत्ति विश्लेषण तालिका 2.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.15: कुल व्यय एवं इनके घटक

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल व्यय (टी0ई0)	1,22,087	1,31,774	1,47,425	1,38,987	1,58,816
राजस्व व्यय (आर0ई0)	94,765	1,02,624	1,24,897	1,26,017	1,39,493
पूँजीगत व्यय (सी0ई0)	27,208	28,907	21,058	12,304	18,209
ऋण एवं अग्रिम	114	243	1,470	666	1,114
जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशतता के रूप में					
टी0ई0 / जी0एस0डी0पी0	29.00	28.11	27.92	23.40	25.67
आर0ई0 / जी0एस0डी0पी0	22.51	21.89	23.66	21.21	22.55
सी0ई0 / जी0एस0डी0पी0	6.46	6.17	3.99	2.07	2.94
ऋण एवं अग्रिम / जी0एस0डी0पी0	0.03	0.05	0.28	0.11	0.18

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में कुल राजस्व और पूँजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। आर्थिक वर्गीकरण के संदर्भ में व्यय की संरचना में परिवर्तन और गतिविधियों द्वारा व्यय को तालिका 2.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.16: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष हिस्सा

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
सामान्य सेवाएं	32,697 (26.78)	36,139 (27.43)	42,002 (28.49)	44,016 (31.67)	47,626 (29.99)
सामाजिक सेवाएं	44,329 (36.31)	50,028 (37.97)	62,345 (42.29)	60,619 (43.61)	70,139 (44.16)
आर्थिक सेवाएं	44,943 (36.81)	45,360 (34.42)	41,604 (28.22)	33,684 (24.24)	39,935 (25.15)
अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान और ऋण और अग्रिम)	118 (0.10)	247 (0.19)	1,474 (1)	668 (0.48)	1,116 (0.70)


(कोष्ठक के आँकड़ें कुल व्यय से प्रतिशत को इंगित करते हैं)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि

- राज्य ने सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं में अधिक राशि खर्च की है जबकि 2020-21 के दौरान सामान्य सेवाओं में कुल व्यय के गतिविधि घटकों की अपेक्षा मामूली भिन्नता देखी गई है।
- सामान्य सेवाओं में, राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के निक्षेप निधि के लिए योगदान को स्थगित करने को लिए गए निर्णय के कारण, राज्य ने पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती के तहत ऋण की कमी या बचाव के लिए विनियोग पर अपने व्यय को ₹ 844.96 करोड़ कम कर दिया।
- सामाजिक सेवाओं में, पिछले वर्ष की तुलना में शहरी विकास (114 प्रतिशत) के अंतर्गत छोटे और मध्यम शहरों के एकीकृत विकास, लोक स्वास्थ्य (96 प्रतिशत) तथा परिवार कल्याण (30 प्रतिशत) के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (25 प्रतिशत) के व्यय में बड़ी वृद्धि देखी गई।
- इसके अलावा, आर्थिक सेवाओं में, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत लघु सिंचाई (468.14 प्रतिशत) के रखरखाव और ग्रामीण विकास के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार (132.77 प्रतिशत) में प्रमुख वृद्धि देखी गई। चार्ट 2.9, 2016-21 के दौरान कुल व्यय के घटकों के हिस्से का प्रवृत्ति प्रस्तुत करता है।

चार्ट 2.9: कुल व्यय: इसके घटकों के हिस्से की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

इसके अलावा, राज्य द्वारा लिए गए डिस्कॉम्स के ऋण का राज्य के ऋण संरचना पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। राज्य द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम नगण्य हैं।

2.4.2 राजस्व व्यय

सेवाओं के वर्तमान स्तर और पिछले दायित्व के भुगतान को बनाए रखने के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य के बुनियादी ढांचे और सेवा तंत्र में कोई वृद्धि नहीं होती है। राजस्व व्यय की वृद्धि का प्रवृत्ति विश्लेषण तालिका 2.17 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.17: राजस्व व्यय—मूलभूत मापदंड

(₹ करोड़ में)


मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल व्यय (टी0ई0)	1,22,087	1,31,774	1,47,425	1,38,987	1,58,816.02
राजस्व व्यय (आर0ई0)	94,765	1,02,624	1,24,897	1,26,017	1,39,493.45
आर0ई0 की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.33	8.29	21.7	0.9	10.69
जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.31	11.33	12.64	12.51	4.14
टी0ई0 की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय	77.62	77.88	84.72	90.67	87.83
आर0ई0 / जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत)	22.51	21.89	23.66	21.21	22.55
आर0ई0 का आर0आर0 से प्रतिशत	89.75	87.38	94.77	101.44	108.84
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता के साथ					
जी0एस0डी0पी0 (अनुपात)	1	0.73	1.72	0.07	2.58
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	1.35	0.74	1.78	(-)0.16	3.37

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से:

- राजस्व व्यय कुल व्यय का 88 प्रतिशत था और पूँजीगत व्यय के लिए केवल 11 प्रतिशत बचा था। राज्य में राजस्व घाटा है क्योंकि वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (109 प्रतिशत) राजस्व प्राप्तियों से अधिक था जो 2004-05 के बाद से अब तक दूसरी बार हुआ है।
- राजस्व व्यय में 10.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि राजस्व प्राप्तियों में केवल 3.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, इस अंतर को राज्य के लोक ऋण से पूरा किया गया है। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 2017-18 को छोड़कर पिछले पाँच वर्षों से बढ़ रहा है।
- जी0एस0डी0पी0 के साथ राजस्व व्यय का उत्प्लावन अनुपात पिछले पाँच वर्षों में सबसे अधिक था क्योंकि जी0एस0डी0पी0 में वृद्धि दर 12.51 प्रतिशत से घटकर 4.14 प्रतिशत हो गई थी। तथापि, राजस्व प्राप्ति के साथ राजस्व व्यय का उत्प्लावन अनुपात 3.37 प्रतिशत था जो राज्य के वित्त का अच्छा संकेत नहीं था। राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण चार्ट 2.10 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.10: राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण



(स्रोत: वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे)

जैसा कि देखा जा सकता है कि प्रमुख राजस्व व्यय दो घटकों (प्रतिबद्ध व्यय और सहायता अनुदान – 39 प्रतिशत प्रत्येक) में किया गया था, जो वर्ष के दौरान कुल राजस्व व्यय का 78 प्रतिशत था।

2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

वर्तमान वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण भिन्नताएं तालिका 2.18 में दी गई हैं।

तालिका 2.18: 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय में भिन्नता

(₹ करोड़ में)

लेखा के मुख्य शीर्ष	2019-20	2020-21	वृद्धि (+)/कमी (-)
2505-ग्रामीण विकास	871.28	2,028.04	1,156.76
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण दिया गया राहत	3,592.41	6,635.65	3,043.24
2217-शहरी विकास	2,765.86	5,001.32	2,235.46
3054-सड़कें और पुल	2,293.99	3,371.89	1,077.90
2210-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	6,117.98	7,599.63	1,481.65
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	6,050.00	7,080.50	1,030.50
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	17,110.38	19,635.15	2,524.77
2049-ब्याज भुगतान	10,991.42	12,484.04	1,492.62
2048-ऋण का वर्जन या कमी के लिए विनियोग	845.01	0.05	(-) 844.96
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	2,419.48	830.08	(-)1,589.40
2401-फसल कृषिकर्म	1,862.07	1,318.43	(-)543.64
2801-ऊर्जा	5,950.24	7,517.57	1,567.33
2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता	2,071.76	1,741.10	(-) 330.66
2216-आवास	5,483.00	4,719.81	(-)763.19
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	9,774.24	9,013.74	(-) 760.50

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत में व्यय (विशेष रूप से निःशुल्क राहत में) कृषि आदानों की खरीद के लिए किसानों को सहायता और निःशुल्क राहत में वृद्धि हुई है। पेंशन (14.76 प्रतिशत) और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में सरकारी योगदान के तहत) तथा ब्याज भुगतान (13.58 प्रतिशत) भी राज्य के राजस्व व्यय में वृद्धि के कुछ कारण थे।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के कल्याण (-56.31 प्रतिशत) और पिछड़ा वर्ग के कल्याण में (-76.35 प्रतिशत) कम व्यय किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में फसल कृषिकर्म के अंतर्गत विस्तार और किसान प्रशिक्षण (62.92 प्रतिशत) तथा कृषि इंजीनियरिंग में (71.41 प्रतिशत) व्यय में कमी आई है। आवासन के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र उपयोजना के लिए विशेष संघटक योजना में कोई व्यय नहीं किया गया।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन तथा मजदूरी एवं पेंशन पर व्यय शामिल हैं। सरकारी संसाधनों पर इसका पहला प्रभार है। प्रतिबद्ध व्यय पर वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार के पास विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलापन देता है। प्रतिबद्ध व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण तालिका 2.19 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.19: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वेतन एवं मजदूरी	15,784.04	17,778.74	19,968.39	20,418.41	21,841.65
पेंशन पर व्यय	12,514.52	14,293.48	16,027.75	17,110.38	19,635.15
ब्याज भुगतान	8,190.70	9,053.78	10,071.14	10,991.42	12,484.04
कुल	36,489.26	41,126.00	46,067.28	48,520.21	53,960.83
राजस्व प्राप्तियों (आर0आर0) के प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	14.95	15.14	15.15	16.44	17.04
पेंशन पर व्यय	11.85	12.17	12.16	13.77	15.32
ब्याज भुगतान	7.76	7.71	7.64	8.85	9.74
कुल	34.56	35.02	34.95	39.06	42.10
राजस्व व्यय (आर0ई0) के प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	16.66	17.32	15.99	16.20	15.66
पेंशन पर व्यय	13.21	13.93	12.83	13.58	14.08
ब्याज भुगतान	8.64	8.82	8.06	8.72	8.95
कुल	38.51	40.07	36.88	38.50	38.68

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा लगभग स्थिर रहा और 2016-17 में 38.51 प्रतिशत से 2020-21 में 38.68 प्रतिशत तक रहा, 2017-18 को छोड़कर जहां यह बढ़कर 40.07 प्रतिशत हो गया था। प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात भी 2016-17 में 34.56 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 42.10 प्रतिशत हो गया।

वर्ष के दौरान, कुल प्रतिबद्ध व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 5,440.63 करोड़ (11.21 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। ब्याज भुगतान (9.74 प्रतिशत) बी0एफ0आर0बी0एम0 (संशोधन) अधिनियम, 2016 में निर्धारित राजस्व प्राप्ति के 10 प्रतिशत के वित्तीय लक्ष्य से काफी कम था, लेकिन जी0एस0डी0पी0 के 1.9 प्रतिशत के पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान से अधिक था।

राज्य ने एम0टी0एफ0पी0 के अनुसार प्रतिबद्ध व्यय बनाए रखा है। प्रतिबद्ध व्यय मदों के लिए बजट के एक बड़े हिस्से का आवंटन, पूँजीगत परिव्यय जैसी अन्य व्यय प्राथमिकताओं को तय करने के लिए राज्य के अवसर को सीमित करता है।

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की लंबित देयताएँ

1 सितंबर 2005 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) के अंतर्गत आते हैं, जो एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करता है और उतना ही योगदान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार ने जुलाई 2019 से अपने योगदान को बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है। पूरी राशि (कर्मचारियों का योगदान और नियोक्ता का योगदान) को नेशनल सिव्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को हस्तांतरित किया जाना है।

2020-21 की अवधि के लिए एन0पी0एस0 में कुल योगदान ₹ 1,924.80 करोड़ (कर्मचारियों का योगदान ₹ 802.00 करोड़ और सरकारी योगदान ₹ 1,122.80 करोड़) होना था, जिसके विरुद्ध ₹ 1,901.76 करोड़ की राशि एन0एस0डी0एल0 को हस्तांतरित की गई। वर्ष के दौरान सरकार द्वारा ₹ 23.04 करोड़ (₹1,122.80 करोड़ – ₹ 1,099.76 करोड़) का कम योगदान था जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व घाटे को कम बताया गया है।

राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान एन0एस0डी0एल0/ट्रस्टी बैंक में ₹ 1,976.81 करोड़ जमा किए। 31 मार्च 2021 तक, ₹ 338.96 करोड़ (₹ 315.92 करोड़ पिछला शेष और ₹ 23.04 करोड़ कम हस्तांतरित) लोक लेखे में अंतिम शेष के रूप में पड़ा था जिसे एन0एस0डी0एल0/ट्रस्टी बैंक में जमा किया जाना शेष है।

2.4.2.4 सब्सिडी

किसी भी कल्याणकारी राज्य में, समाज के वंचित वर्गों को सब्सिडी/सहायता प्रदान करना आम बात है। सब्सिडी न केवल स्पष्ट रूप से बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को सब्सिडी वाली सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करके दी जाती है। वित्तीय संस्थानों को बजटीय सहायता, निवेश पर अपर्याप्त प्रतिफल और सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से उपयोगकर्ता शुल्क की कम वसूली अंतर्निहित सब्सिडी की श्रेणी में आती है।

वर्तमान वर्ष के दौरान कुल सब्सिडी ₹ 8,167.42 करोड़ थी जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.66 प्रतिशत अधिक एवं राजस्व प्राप्तियों का 6.37 प्रतिशत थी। सब्सिडी पर व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण तालिका 2.20 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.20: वर्ष 2016-21 के दौरान विभागवार अनुदान

(₹ करोड़ में)

विभाग	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	स्पार्क लाईन
कृषि	344.26	406.41	490.52	518.17	164.30	
ऊर्जा	6,807.69	3,491.66	5,737.03	5,193.00	6,759.96	
खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण	976.89	490.89	638.81	618.13	578.77	
उद्योग	381.99	401.59	322.00	316.78	234.47	
परिवहन	0.00	0.00	962.77	177.17	122.57	
पशु और मत्स्य संसाधन	122.44	127.00	112.92	116.00	99.67	
अन्य	124.18	105.51	59.92	182.02	207.68	

विभाग	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	स्पार्क लाईन
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	8,757.44	5,023.06	8,323.97	7,121.27	8,167.42	
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	8.29	4.27	6.32	5.73	6.37	
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	9.24	4.89	6.66	5.65	5.85	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

प्रवृत्ति विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि 82 प्रतिशत से अधिक सब्सिडी ऊर्जा क्षेत्र में चली गई। इस तथ्य के बावजूद कि ऊर्जा विभाग ने बिजली खरीद के लिए डिस्काॅम्स को सब्सिडी प्रदान की, दोनों डिस्काॅम्स की वित्तीय स्थिति अभी भी दयनीय है।

2.4.2.5 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

पिछले वर्षों की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य को अनुदान एवं ऋण के रूप में प्रदान की गई सहायता की मात्रा तालिका 2.21 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.21: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(अ) स्थानीय निकाय					
नगर निगम और नगर पालिकाएँ	3,135.50	1,794.52	2,892.56	1,533.24	4,785.08
पंचायती राज संस्थान	2,659.04	7,572.94	7,517.61	9,971.64	12,899.38
कुल (अ)	5,794.54	9,367.46	10,410.17	11,504.88	17,684.46
(ब) अन्य					
शैक्षणिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, आदि)	3,101.99	4,683.27	1,905.37	3,925.89	3,716.00
विकास प्राधिकरण	11,645.91	1,786.76	5,860.77	5,839.49	999.15
अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य संस्थान	15,666.90	27,521.24	33,587.98	25,311.28	32,529.37
कुल (ब)	30,414.80	33,991.27	41,354.12	35,076.66	37,244.52
कुल (अ+ब)	36,209.34	43,358.73	51,764.29	46,581.54	54,928.98
राजस्व व्यय	94,765.18	1,02,623.73	1,24,896.81	1,26,016.66	1,39,493.45
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सहायता	38.21	42.25	41.45	36.96	39.38


(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

“सात निश्चय” योजना के क्रियान्वयन के कारण राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष (₹ 46,581.54 करोड़) की तुलना में 17.92 प्रतिशत की और राजस्व व्यय में 39.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। समय पर लेखा देने पर जोर दिए बिना वित्तीय सहायता जारी करना सार्वजनिक जवाबदेही के लिए हानिकारक है और खराब वित्तीय प्रबंधन (अध्याय-IV में विस्तृत) का संकेत है।

2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) मुख्य रूप से सड़कों, भवनों आदि जैसे अचल बुनियादी ढाँचे की संपत्ति के निर्माण पर व्यय है। राज्य में कैपेक्स को बजटीय सहायता और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से पूरा किया जा रहा है। कैपेक्स का प्रवृत्ति विश्लेषण चार्ट 2.11 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.11: राज्य में पूँजीगत व्यय



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- पूँजीगत व्यय राज्य सरकार द्वारा बजट अनुमानों में किए गए आकलन और एम0टी0एफ0पी0एस0 2020-21 (₹ 38,744.59 करोड़) में किए गए अनुमान से 53.00 प्रतिशत कम था।
- विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि सामान्य सेवा में पूँजीगत व्यय ₹ 2,388.26 करोड़ से घटकर ₹ 1,386.50 करोड़ हो गया। मुख्य रूप से पुलिस में ₹ 276.02 करोड़, लोक निर्माण कार्यों में ₹ 452.08 करोड़ और अन्य प्रशासनिक सेवाओं में ₹ 278.88 करोड़ की कमी आई। लेकिन, सामाजिक सेवाओं में ₹ 2,802.51 करोड़ से बढ़कर ₹ 6,331.52 करोड़ हो गई, जहाँ मुख्य रूप से जलापूर्ति और स्वच्छता में ₹ 3,191.89 करोड़ और सामान्य शिक्षा में ₹ 538.68 करोड़ की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष 2019-20 की तुलना में आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय मुख्य रूप से अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम में ₹ 1,967.72 करोड़, सड़क एवं पुलों में ₹ 2,001.53 करोड़ एवं वृहत सिंचाई में ₹ 838.92 करोड़, के व्यय के कारण ₹ 7,113.13 करोड़ से बढ़कर ₹ 10,490.58 करोड़ हो गया।
- पूँजीगत व्यय और पूँजीगत प्राप्तियों के अनुपात में 2017-18 से 2019-20 के वर्षों के दौरान ह्रास की प्रवृत्ति थी जो समग्र आर्थिक मंदी का परिणाम था, लेकिन 2020-21 में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी गई।
- लेखापरीक्षा ने देखा कि पूँजीगत शीर्ष के तहत दर्ज किए गए कुछ व्ययों का वर्गीकरण गलत था जिसके परिणामस्वरूप पूँजीगत व्यय का उस सीमा तक अतिकथन हुआ।

इसके अलावा, पूँजीगत व्यय की राशि को केवल कागजी व्यय के रूप में माना गया है क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा राज्य के लोक लेखे में रखा गया है। विस्तृत विश्लेषण इस रिपोर्ट के अध्याय IV के कंडिका 4.4 में शामिल किया गया है।

2.4.3.1 पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के पूँजीगत व्यय के संबंध में विभिन्न मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिवर्तनों को तालिका 2.22 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.22: 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2019-20	2020-21	वृद्धि (+)/ कमी (-)
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	(-) 39.10	736.96	776.06
4700-प्रमुख सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	379.92	1,218.84	838.92
4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	1,453.84	4,645.73	3,191.89
5054-सड़कों और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	1,202.05	3,203.58	2,001.53
4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	1,590.73	3,558.45	1,967.72
5053-नागरिक उड्डयन पर पूँजीगत परिव्यय	152.44	0	(-)152.44
5075-अन्य परिवहन सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	160	50	(-)110.00
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3,067.32	1,125.96	(-)1,941.36
4059-लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	1,029.04	576.96	(-)452.08
4210-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	862.34	647.99	(-)214.35

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से मुख्यमंत्री पेयजल सुनिश्चय/संकल्प योजना, मुख्यमंत्री पेयजल सुनिश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) और मुख्यमंत्री पेयजल नीति पर व्यय के कारण हुई। अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर व्यय में वृद्धि, पंचायत सरकार भवन, मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क पथ योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क पथ योजना (एन0डी0बी0 सहायता प्राप्त) पर व्यय के कारण हुई। इसके अलावा, सड़कों और पुलों पर व्यय में वृद्धि नाबार्ड ऋण द्वारा पुलों के निर्माण के कारण थी और प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि सिंचाई निर्माण परियोजना (कार्य) (नाबार्ड सहायता प्राप्त) और सिंचाई निर्माण परियोजना (कार्य) में अधिक व्यय के कारण हुई थी।

पिछले वर्ष की तुलना में बिहार स्टेट पावर (होलिंडिंग) कंपनी लिमिटेड में निवेश पर कम व्यय किया गया था। विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, सहायक नर्स मिडवाइफरी और मेडिकल कॉलेज के लिए अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के तहत चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय के तहत अनुसूचित जाति के लिए भवन निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय के तहत किया गया।

2.4.3.2 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यदि राज्य सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में, जिनकी कुल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है, में निवेश जारी रखती है, वहाँ निवेश पर प्रतिफल की कोई संभावना नहीं होती है। इसी तरह, अनुभव बताते हैं कि घाटे में चल रहे निगमों और अन्य निकायों जैसे चीनी मिलों, वित्तीय निगमों आदि को दिए गए ऋणों को बड़े खाते में डालने की अनिवार्यता है। ऐसे वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। यह खंड वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेश और अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों पर पूँजीगत व्यय, जो घाटे में चल रहे हैं या जहां निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है, धारणीय नहीं है।

लोक क्षेत्र उपक्रम में निवेश की गई अंशपूँजी में निवेश पर प्रतिफल और विभिन्न निकायों को दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान का इतिहास पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। निवेश पर प्रतिफल का प्रवृत्ति विश्लेषण तालिका 2.23 में दिया गया है।

तालिका 2.23: निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश/वापसी/उधार की लागत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	15,916.47	23,037.29	28,327.00	31,667.39	32,870.61
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	3.73	1.34	11.34	1.62	603.01
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.02	0.01	0.04	0.01	1.83
सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	6.42	6.13	6.18	6.07	5.94
ब्याज दर और प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत)	5.88	5.82	6.14	6.06	4.11
सरकारी उधार पर ब्याज और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर* (₹ करोड़ में)	935.89	1,340.77	1,739.28	1,919.04	1,350.98

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष के अंत में निवेश * ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अंतर

- 31 मार्च 2021 तक 46 सरकारी कंपनियों (₹ 31,809.38 करोड़), तीन सांविधिक निगमों (₹ 105.63), एक ग्रामीण बैंक (₹ 30.19 करोड़), 12 संयुक्त स्टॉक कंपनियों (₹ 305.17 करोड़) और 17 सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों (₹ 620.24 करोड़) में कुल सरकारी निवेश ₹ 32,870.61 करोड़ था।
- राज्य ने बिजली क्षेत्र की कंपनियों (बी0एस0पी0एच0सी0एल0) में ₹ 30,764.85 करोड़ का निवेश किया है जो 2020-21 तक राज्य सरकार के कुल निवेश का 93.59 प्रतिशत था।
- पिछले वर्ष की तुलना में निवेश पर प्रतिफल में ₹ 601.39 करोड़ की वृद्धि, वित्त विभाग द्वारा लोक क्षेत्र उपक्रम को उनके कुल संचित बचत और अधिशेष का 50 प्रतिशत लाभांश जारी करने के लिए जारी निर्देशों के कारण हुई थी।
- सरकार की उधारी लागत और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर के कारण विभिन्न संस्थाओं में निवेश पर प्रतिफल पर राज्य सरकार को ₹ 1,350.98 करोड़ की काल्पनिक हानि हुई।

यह देखा गया कि राज्य सरकार ने 2020-21 तक घाटे में चल रहे एक सार्वजनिक उपक्रम को अंश पूँजी के रूप में ₹ 564.39 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की थी जिसे तालिका 2.24 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.24: घाटे में चल रही कंपनियों में किया गया निवेश

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	कंपनी/निगम	संचित हानि	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	31 मार्च 2020 तक संचित निवेश	31 मार्च 2021 तक संचित निवेश
1	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	7.58	35.64	528.75	564.39

(स्रोत: वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे)

इसके अलावा, ₹ 1,211.60 करोड़ जो वास्तव में तीन लोक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश किया गया था, को वर्ष 2020-21 के दौरान पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है जैसा कि तालिका 2.25 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.25: पूँजीगत व्यय माने गए निवेश

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	कंपनी/निगम	पूँजीगत व्यय का मुख्य शीर्ष	राशि
1	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	5465	35.64
2	पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	5075	50.00
3	बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लिमिटेड	4801	1,125.96
कुल			1,211.60

(स्रोत: वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे)

तदनुसार, इस वर्ष के दौरान प्रभावी पूँजीगत व्यय ₹ 16,997 करोड़ (₹ 18,208.60 करोड़ - ₹ 1,211.60 करोड़) था।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2021 तक लोक क्षेत्र के उपक्रमों की कोई लाभांश नीति नहीं बनाई थी। वित्त लेखे के अनुसार, सात¹¹ कंपनियों/सहकारी संस्थाओं ने 2020-21 के दौरान ₹ 603.01 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया। इसके अलावा, चार कंपनियों में ₹16.51 करोड़ विनिवेश के रूप में दिखाया गया था।

सहकारी समितियों, निगमों और कंपनियों में निवेश के अलावा, सरकार ने इनमें से कई संस्थानों और संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान किए हैं। विवरण तालिका 2.26 में दिया गया है।

तालिका 2.26: पाँच वर्षों के दौरान वितरित और वसूल किए गए ऋणों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

वितरित और वसूल किए गए ऋणों की मात्रा	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
लंबित ऋणों का प्रारंभिक शेष	20,857.73	20,948.29	21,169.17	20,814.33	21,450.23
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	113.87	242.78	1,470.56	666.30	1,113.97
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	23.31	21.89	1,825.40	30.40	820.43
बकाया ऋणों का अंतिम शेष	20,948.29	21,169.18	20,814.33	21,450.23	21,743.77
निवल योग	90.56	220.89	(-)354.84	635.90	293.54
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-	2.20
सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज दर	सुनिश्चित नहीं किया जा सका				
सरकार की बकाया उधारियों पर चुकाई गई ब्याज दर	5.90	5.77	5.96	5.68	5.49
भुगतान की गई ब्याज दर और प्राप्त ब्याज के बीच अंतर (प्रतिशत)	सुनिश्चित नहीं किया जा सका				

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- वित्त लेखे के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त ब्याज ₹ 2.20 करोड़ था।
- राज्य सरकार द्वारा वितरित कुल ऋण एवं अग्रिम (₹ 21,743.77 करोड़) में से ₹ 19,811.01 करोड़ की राशि सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों को दी गई।
- वर्ष के दौरान ऋणी समूह को ₹ 934.89 करोड़ के ऋण के संवितरण के बावजूद, ऋण की कोई अदायगी नहीं देखी गई।

दस्तावेजों की जांच से पता चला कि कई मामलों में सरकार द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज की दर को भी ऋणी के साथ अंतिम रूप नहीं दिया गया था। कुछ मामलों में, ऋण राशि के साथ ब्याज दर का खुलासा नहीं किया जाता है। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा के लिए सरकार द्वारा ऋणी से वसूले जाने वाले ब्याज की दर का निर्धारण करना कठिन होता है।

2.4.3.3 अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

अधूरे पूँजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूँजी की प्रवृत्तियों का आकलन भी पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करता है। अधूरी परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन, व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और राज्य को लंबे समय तक इच्छित लाभों से वंचित रखता है। इसके अलावा, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई धनराशि, ऋण और ब्याज

¹¹ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड- ₹ 193.38 करोड़, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड- ₹ 50.00 करोड़, बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड- ₹ 278.00 करोड़, बिहार राज्य शिक्षा अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड- ₹ 40.00 करोड़, बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड - ₹ 3.12 करोड़, क्रेडिट सहकारी समिति- ₹ 38.22 और अन्य सहकारी समिति - ₹ 0.29 करोड़।

देनदारियों की अदायगी के मामले में अतिरिक्त बोझ का कारण बनती है। अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण तालिका 2.27 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.27: अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

31 मार्च 2021 तक अपूर्ण परियोजनाओं की वर्षवार रूपरेखा (₹ करोड़ में)				31 मार्च 2021 के दौरान अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग-वार रूपरेखा (₹ करोड़ में)			
वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च तक)	विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय
2011-12	380	3,395.35	1,579.46	जल संसाधन विभाग	46	758.26	292.84
2012-13	298	3,829.75	1,487.57	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	57	1,130.68	497.31
2013-14	227	3,129.86	1,273.67	भवन निर्माण विभाग	31	1,387.80	653.49
2014-15	211	3,404.88	1,300.78	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	2	2.46	1.42
2015-16	144	1,728.18	731.56	सड़क निर्माण विभाग	19	387.81	207.74
2016-17	130	2,269.08	1,521.31	ग्रामीण कार्य विभाग	2	3.54	0.84
2017-18	127	1,819.64	892.21	कुल	157	3,670.54	1,653.64
2018-19	68	790.99	315.11				
2019-20	143	3,396.64	1,000.95				
2020-21	157	3,670.54	1,653.64				

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2020-21 तक, कुल ₹ 3,670.54 करोड़ की अनुमानित लागत के विरुद्ध, केवल ₹ 1,653.64 करोड़ व्यय किया गया था और 157 परियोजनाओं में से, केवल पाँच परियोजनाओं की लागत को संशोधित किया गया था। विवरण वित्त लेखे खंड-II के परिशिष्ट IX में प्रस्तुत किया गया है। चूँकि ₹ 2,016.90 करोड़ की अनुमानित लागत वाली शेष 152 परियोजनाओं का विवरण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए उनकी संशोधित लागत वित्त लेखे में प्रदर्शित नहीं की गई थी और इस प्रकार इसे सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था।

₹ 3,670.54 करोड़ की अनुमानित लागत की तुलना में मार्च 2021 तक केवल ₹ 1,653.64 करोड़ का व्यय किया गया था। 2020-21 के दौरान पूरा होने वाली प्रमुख अपूर्ण परियोजनाओं (100 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत) का विवरण तालिका 2.28 में विस्तृत है।

तालिका 2.28: 2020-21 के दौरान अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	योजना/परियोजना का नाम (जिसकी अनुमानित लागत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक है)	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	योजना/परियोजना की अनुमानित लागत	2020-21 के दौरान व्यय	31 मार्च 2021 तक व्यय	लंबित भुगतान
1	बागमती बाढ़ प्रबंधन प्रणाली III ए के तहत मौजूदा हायाघाट काराधीन तटबंध को 123.52 कि०मी० (0.0 कि०मी०) से बढ़ाकर 165.52 कि.मी. (42 कि०मी०) तक बढ़ाना और मजबूत करना	2020-21	389.35	12.16	135.56	5.59

क्रम सं०	योजना/परियोजना का नाम (जिसकी अनुमानित लागत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक है)	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	योजना/परियोजना की अनुमानित लागत	2020-21 के दौरान व्यय	31 मार्च 2021 तक व्यय	लंबित भुगतान
2	कटिहार में 5200 मीटर (एजेंडा संख्या 133/198) की लंबाई में केवला गांव से बाघमारा गाँव तक गंगा नदी के बाएं किनारे का संरक्षण कार्य	2020-21	100.28	13.48	75.23	75.23
3	किशनगंज में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता) आयरन प्रभावित लघु जलापूर्ति योजना	2020-21	177.60	53.51	81.45	96.15
4	किशनगंज में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता) आयरन प्रभावित लघु जलापूर्ति योजना	2020-21	146.89	45.42	57.06	89.83
5	किशनगंज में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता) आयरन प्रभावित लघु जलापूर्ति योजना	2020-21	110.51	38.86	45.61	64.90
6	विधायक आवास परिसर (एम0एल0सी0) का निर्माण कार्य, पटना	2020-21	116.43	0.08	88.65	*
7	विधायक आवास परिसर (एम0एल0ए0) का निर्माण कार्य, पटना	2020-21	258.91	0.01	89.75	*
8	गया में बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण	2020-21	145.14	22.82	81.09	63.91
9	नालंदा के राजगीर में राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय मानक आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण	2020-21	633.00	49.03	262.40	478.43
कुल			2,078.10	235.37	916.80	874.04

(स्रोत: वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे)

* राज्य सरकार द्वारा आँकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है वर्ष 2020-21 तक पूरा होने वाली योजनाओं के लिए अनुमानित लागत ₹ 2,078.10 करोड़ की तुलना में केवल 44 प्रतिशत ही व्यय किया गया था। संबंधित विभागों द्वारा परियोजनाओं को समय पर पूरा न करने का कारण सूचित नहीं किया गया था। राज्य सरकार द्वारा वित्त लेखे के परिशिष्ट-IX में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 129 परियोजनाओं के मामले में, जो 2020-21 तक पूर्ण होने वाली थी, ₹ 1,460.21 करोड़ की राशि भुगतान के लिए देय थी (परिशिष्ट 2.2)।

कार्य पूर्ण करने और विपत्र जमा करने के बावजूद संवेदकों के विपत्रों का भुगतान को स्थगित अथवा रोक दिया जाना, सरकार के लिए देनदारियां पैदा करता है और लेखे की अपूर्णता और अपारदर्शिता प्रदर्शित करता है। ऐसी योजनाओं का अपेक्षित लाभ बड़े पैमाने पर जनता तक नहीं पहुँचाया जा सका, क्योंकि वे अधूरे रह गए थे। इसके अलावा, इससे परियोजना लागत में वृद्धि हुई। इन सभी परियोजनाओं को बिना किसी देरी के पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि समयलंघन के कारण लागत में वृद्धि से बचा जा सके।

2.4.3.4 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) का कार्यान्वयन

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (जी0ओ0आई0) ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय बदलाव के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) (नवंबर 2015) प्रारंभ की थी।

राज्य डिस्कॉम के परिचालन और वित्तीय दक्षता में सुधार के उद्देश्य से, विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार), संबंधित राज्य सरकार और राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) निष्पादित किया गया था। इस योजना ने राज्य सरकारों को दो वर्षों की अवधि के लिए डिस्कॉम के बकाया ऋण का 75 प्रतिशत देनदारी लेने की सुविधा प्रदान की।

डिस्कॉम के बकाया ऋण को अंशपूँजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में लिया गया था। उदय के तहत डिस्कॉम को दिए गए ऋण को बाद के तीन वर्षों में अनुदान और अंश पूँजी में परिवर्तित किया जाना है। तदनुसार, राज्यों को ऋण को इक्विटी और सब्सिडी में बदलना पड़ा।

इसके अलावा, राज्य सरकार को तालिका 2.29 में उल्लिखित विवरण के अंश पूँजी अनुसार श्रेणीबद्ध तरीके से डिस्कॉम की हानियों, यदि कोई हो, का अधिग्रहण करना था।

तालिका 2.29: राज्य द्वारा हानि का अधिग्रहण

वर्ष	2015-16	2016-17
राज्य द्वारा वहन की जाने वाली हानि	2015-16 के हानि का 50%	2016-17 के हानि का 25%

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

इस योजना के तहत, राज्य को 30 सितंबर 2015 तक डिस्कॉम ऋण (₹ 3,109.05 करोड़) का 75 प्रतिशत ऋण लेने के लिए गैर-एस.एल.आर. बांड जारी करके और अनुदान, ऋण और अंश पूँजी के रूप में डिस्कॉम को निधि का हस्तांतरण करना था। पैकेज के तहत राज्य सरकार की देनदारी ₹ 2,331.78 करोड़ थी जिसे तालिका 2.30 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.30: उदय के अंतर्गत अंश पूँजी/ऋण/सब्सिडी की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अंश पूँजी निवेश	ऋण	सब्सिडी	कुल
2015-16	-	-	1,369.89	1,369.89
2016-17	-	-	961.89	961.89
कुल			2,331.78	2,331.78

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2020-21 के लिए डिस्कॉम के वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए गए थे इसलिए नियोजित पूँजी की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अलावा, 31 मार्च 2021 को, दोनों डिस्कॉम (एस0बी0पी0डी0सी0एल0 ₹ 4,204.67 करोड़ और एन0बी0पी0डी0सी0एल0 ₹ 1,945.59 करोड़) पर ₹ 6,150.26 करोड़ का ऋण बकाया था। राज्य सरकार ने उदय योजना के तहत जारी बांडों पर 2020-21 में ₹ 191.36 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया था।

राज्य सरकार द्वारा सभी टैरिफ सब्सिडी और ऋण दायित्वों को पूरा करने के बावजूद, डिस्कॉम को अभी भी 2019-20 तक ₹ 4,111.25 करोड़ का परिचालन घाटा था।

2.4.3.5 राजस्व व्यय को पूँजीगत व्यय के रूप में या इसके विपरीत गलत वर्गीकरण

पूँजीगत व्यय, मुख्य रूप से स्थायी प्रकृति की यथार्थपूर्ण संपत्तियों के निर्माण/ अर्जन/वृद्धि करने या स्थायी उत्तरदायित्व को कम करने के उद्देश्य से किया गया व्यय है। स्थापना एवं प्रशासनिक इकाई को चलाने के लिए और अपनी संपत्ति के रखरखाव के लिए किए गए अन्य सभी व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2020-21 के दौरान, स्थापना एवं प्रशासनिक शीर्षों पर ₹ 49.49 करोड़ का व्यय किया गया था जिसे पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह भी देखा गया कि वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान संख्या 37 ग्रामीण कार्य विभाग को राजस्व प्रयोजनों और परिसंपत्तियों के निर्माण, दोनों के लिए सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए गए ₹ 302.47 करोड़ (₹ 234.26 करोड़ + ₹ 68.21 करोड़), को पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया था। लेखापरीक्षा में मामला उठाए जाने पर, विभाग ने गलती स्वीकार की और कहा कि वित्त विभाग के निर्देश के तहत इन व्ययों को अभी और आगे भी राजस्व शीर्ष के तहत दर्ज किया जाएगा।

पूँजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप पूँजीगत व्यय को अधिक बताया गया और उस सीमा तक राजस्व व्यय को कम बताया गया। वित्तीय विवरणों की सत्यता पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है।

2.4.4 व्यय प्राथमिकताएँ

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि आवंटन राष्ट्रीय औसत से कम है तो न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (किसी श्रेणी के अंतर्गत व्यय का कुल व्यय से अनुपात) किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ी होती है। इन घटकों का कुल व्यय से जितना अधिक अनुपात होता है, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर मानी जाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता का विश्लेषण तालिका 2.31 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.31: 2020-21 के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

	ए0ई0 / जी0एस0डी0पी0	सी0ई0 / ए0ई0	शिक्षा / ए0ई0	स्वास्थ्य / ए0ई0
अखिल भारतीय औसत / सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (2014-15)	15.99	13.98	16.54	4.92
बिहार राज्य	26.56	19.93	18.15	3.96
अखिल भारतीय औसत / सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (2020-21)	16.18	13.03	15.00	6.74
बिहार राज्य	25.67	12.16	16.71	5.35


(स्रोत: एम0ओ0एस0पी0आई0 एवं वित्त लेखे)

शिक्षा को छोड़कर स्वास्थ्य और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता 2020-21 के दौरान अखिल भारतीय औसत (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य) से कम थी, जो क्षमता निर्माण के लिए राज्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

2.4.5 वस्तु शीर्षवार व्यय

वस्तु शीर्षवार व्यय नीचे चार्ट 2.12 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.12: वस्तु शीर्षवार व्यय



(स्रोत: वी0एल0सी0 प्रणाली)

- ऊपर दर्शाए गए चार्ट के अनुसार, बजट का एक बड़ा अनुपात प्रतिबद्ध¹² व्यय (राजस्व व्यय का 38.68 प्रतिशत) के लिए आवंटित किया गया है जो अन्य विकासात्मक व्यय प्राथमिकताओं जैसे कि निवेश, निर्माण, आदि को बढ़ाने के लिए लचीलेपन को सीमित करता है।
- इसके अलावा, पिछले वर्ष की तुलना में वेतन पर व्यय 6.97 प्रतिशत अधिक था, जो जी0एस0डी0पी0 का 3.53 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 15.66 प्रतिशत था। पेंशन पर व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 14.75 प्रतिशत अधिक था एवं जी0एस0डी0पी0 का 3.17 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 14.08 प्रतिशत था।

इससे पता चलता है कि प्रतिबद्ध व्यय के प्रमुख घटक साल दर साल बढ़ रहे हैं। 2020-21 के दौरान, प्रतिबद्ध देनदारियों पर व्यय 34 प्रतिशत था जबकि पूँजीगत व्यय कुल व्यय का केवल 11.46 प्रतिशत था जो की राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

2.5 लोक लेखा

प्राप्तियों और संवितरण के संबंध में कुछ लेन-देन जैसे कि लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण, आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं हैं, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है और यह राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। सरकार इनके संबंध में एक बैंकर की तरह काम करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद की शेष राशि सरकार के पास विभिन्न प्रयोजनों में उपयोग के लिए उपलब्ध निधि होती है।

¹² 2020-21 के दौरान, वेतन और मजदूरी- ₹ 21,841.65 करोड़, पेंशन- ₹ 19,635.15 करोड़, ऋण भुगतान- ₹ 12,484.04 करोड़।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखा में संघटक-वार निवल शेष तालिका 2.32 में दिया गया है।

तालिका 2.32: 31 मार्च 2021 तक लोक लेखे में घटक-वार निवल शेष

		(₹ करोड़ में)				
क्षेत्र	उप क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
आई.- लघु बचत, भविष्य निधि, आदि।	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि।	99.63	(-)80.24	277.79	190.40	166.29
जे.- आरक्षित निधि	(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधि	(-)712.03	(-)696.39	0.01	522.95	378.12
	(ब) ब्याज रहित आरक्षित निधि	0	0	0	0	(-)26.32
के.- जमा और अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा	24.46	(-)1.62	60.25	202.65	(-)75.05
	(ब) ब्याज रहित जमा	5,369.64	10,317.65	368.13	1,509.34	4,336.01
	(स) अग्रिम	(-)0.71	(-)1.72	(-)96.85	0	0
एल.- उचंत और विविध	(अ) उचंत	(-)894.39	579.80	(-)345.13	(-)5,773.58	(-)4,879.88
	(ब) अन्य लेखे	(-)4,772.25	(-)4,393.75	2,138.36	(-)2,735.55	(-)191.23
	(स) विदेशी सरकारों के साथ खोले गये लेखे	0	0	(-)0.01	(-)0.01	(-)0.01
	(द) विविध	-	-	-	-	-
एम.- प्रेषण	(अ) धनादेश, और अन्य प्रेषण	(-)7.05	(-)2.76	76.05	(-)2.44	4.37
	(ब) अंतर्संरकारी समायोजन लेखे	0	0	0	(-)794.07	794.07
कुल		(-)1982.95	(-)892.70	5,720.97	2,478.60	506.37

नोट: (+ve) डेबिट बैलेंस को दर्शाता है और (-ve) क्रेडिट बैलेंस को दर्शाता है।

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)


उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 506.37 करोड़ की निवल लोक लेखा प्राप्तियों ने राज्य के कुल संसाधनों में अंशदान दिया। निवल लोक लेखा प्राप्तियों का प्रमुख स्रोत लोक लेखा के अन्तर्गत जमा निधि (₹ 4,260.96 करोड़) था।

उचंत खाते (सिविल) में विशेष रूप से दर्शाए गए उचंत और विविध निधियों के अंतर्गत ऋणात्मक शेषों के कारण लोक लेखे का बकाया रोकड़ शेष बढ़ गया है। अविश्रवों की अनुपलब्धता के कारण नकारात्मक आँकड़ों को व्यय या प्राप्तियों के अंतिम शीर्ष पर नहीं ले जाया जा सका। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0) ने ₹ 4,548.13 करोड़ रुपये के अविश्रवों पर आपत्ति जताई है और यह कुल व्यय से बाहर है।

2020-21 के दौरान, राज्य सरकार को ब्याज सहित आरक्षित निधियों के तहत कैंपा निधि के ₹ 522.95 करोड़ के लिए ₹ 0.12 करोड़ का ब्याज क्रेडिट के लिए प्राप्त हुआ। राज्य सरकार ने इस निधि से कोई व्यय नहीं किया। लोक लेखा शेषों की संरचना में वार्षिक परिवर्तन चार्ट 2.13 में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 2.13: लोक लेखा शेषों की संरचना में वार्षिक परिवर्तन

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2.5.2 आरक्षित निधियाँ

राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए आरक्षित निधियाँ सृजित की जाती हैं। इन निधियों की पूर्ति राज्य की संचित निधि से अंशदान या अनुदान से की जाती है।

वित्त लेखे के अनुसार, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राज्य सरकार के पास नौ सक्रिय आरक्षित निधियाँ (तीन ब्याज सहित और छह गैर-ब्याज रहित) हैं। 31 मार्च 2021 के अंत में ब्याज सहित आरक्षित निधि के तहत कुल संचित शेष राशि ₹ 901.07 करोड़ थी।

इसके अलावा, 31.03.2020 तक ₹ 26.32 करोड़ मूल्य की आरक्षित निधियाँ, जो 2001-02 से संचालित नहीं की गई हैं, को 2020-21 के दौरान राज्य की संचित निधि में स्थानांतरित कर दिया गया।

2.5.2.1 समेकित निक्षेप निधि (सी0एस0एफ0)

12वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों को बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष आदि पर देनदारियों सहित सभी ऋणों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि स्थापित करनी चाहिए और इन निधियों का उपयोग सिवाय ऋणों के मोचन के किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक (आर0बी0आई0) के दिशा-निर्देश, जो निधि के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं, इस निधि के लिए वर्ष की शुरुआत में बकाया देनदारियों के 0.5 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक योगदान निर्धारित करते हैं। इसके अलावा, संपूर्ण निधि का निवेश आर0बी0आई0 द्वारा किया जाता है और निवेश का विवरण वित्त लेखे के विवरणी-22 में दिया गया है।

राज्य सरकार ने 2008-09 में एक समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की जो केवल बाजार ऋणों के परिशोधन के लिए थी और 2014-15 से, इसका उपयोग सरकार की बकाया देनदारियों के मोचन के लिए किया जाना था। हालाँकि, इसकी स्थापना के बाद से ही इसका उपयोग नहीं किया गया है।

31 मार्च 2021 को निधि का अंतिम शेष ₹ 5,996.23 करोड़ था जिसमें 31 मार्च 2021 को अर्जित ब्याज ₹ 256.11 करोड़ शामिल था। कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार ने 2020-21 के दौरान समेकित निक्षेप निधि में अंशदान नहीं करने का निर्णय लिया था।

2.5.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

भारत सरकार (जी0ओ0आई0) ने 1 अप्रैल 2010 से पूर्ववर्ती आपदा राहत कोष को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस0डी0आर0एफ0) से बदल दिया। निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र और राज्यों को एक निश्चित अनुपात में निधि में योगदान करना होता है। अंशदान को लोक लेखा में मुख्य शीर्ष-8121 में अंतरित किया जाना है। वर्ष के दौरान व्यय का संचालन मुख्य शीर्ष-2245 द्वारा किया जाता है।

आर0बी0आई0 के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशा-निर्देशों के तहत ओवरड्राफ्ट पर लागू दर पर एस0डी0आर0एफ0 को ब्याज राज्य सरकारों द्वारा भुगतान करना आवश्यक है। ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर जमा किया जाना है। एस0डी0आर0एफ0 के निवेश पर अर्जित आय के साथ एस0डी0आर0एफ0 में वृद्धि को केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किए गए राज हंडियों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ अन्य ब्याज अर्जक जमा में निवेश किया जाना है।

एस0डी0आर0एफ0 का उपयोग केवल आपदा पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने में हुए व्यय को पूरा करने के लिए किया जाना है और आपदा तैयारी, पुनर्बहाली, पुनर्निर्माण और शमन के प्रावधान को एस0डी0आर0एफ0 का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस तरह के व्यय को सामान्य बजटीय शीर्षों/राज्य योजना निधियों आदि में शामिल किया जाना चाहिए।

वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्र सरकार ने ₹ 1,416 करोड़ और राज्य सरकार ने ₹ 472 करोड़ का योगदान एस0डी0आर0एफ0 में दिया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एन0डी0आर0एफ0) से भी ₹ 553.17 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ। एस0डी0आर0एफ0 में कुल धनराशि ₹ 2,441.17 करोड़ (शुरुआती शेष राशि ₹ 73,850/- मात्र शामिल) थी। इस निधि में से, राज्य सरकार ने 31 मार्च 2021 को ₹ 378 करोड़ की शेष राशि को छोड़कर वर्ष के दौरान ₹ 2,063.18 करोड़ का व्यय किया।

राज्य सरकार ने बिजली आपूर्ति, जलापूर्ति और अन्य बुनियादी ढाँचे की तत्काल मरम्मत और पुनर्बहाली के लिए विभिन्न संस्थाओं के प्रति ₹ 2,063.18 करोड़ (मुख्य शीर्ष 2245-05 के तहत) का व्यय किया। व्यय को 2020-21 के लिए एस0डी0आर0एफ0 के तहत दर्ज किया गया था, जिसके बदले में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना बाकी है ताकि यह आश्वासन दिया जा सके कि धन का वास्तव में पूरी तरह से उपयोग किया गया था और व्यय अनुमत गतिविधियों पर था।

2.5.2.3 गारंटी मोचन निधि

राज्य के लोक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य निकायों द्वारा जारी किए गए बाँड और अन्य उधारों के संबंध में सरकार द्वारा जारी गारंटियों से उत्पन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए 'गारंटी मोचन निधि' का गठन राज्य सरकार करती है और लाभार्थियों द्वारा लागू किया जाता है। निधि में जमा राशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा जारी गारंटियों के भुगतान के लिए किया जाना है और उन संस्थानों द्वारा भुगतान नहीं किया जाना है जिनकी ओर से गारंटी जारी की गई थी।

राज्य सरकार ने न तो 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार गारंटी मोचन निधि बनाया है और न ही गारंटी की उच्चतम सीमा तय करने के लिए कोई नियम बनाया है।


राज्य सरकार को वर्तमान वित्तीय वर्ष के पूर्व से दूसरे वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों के कम से कम 0.5 प्रतिशत के बराबर राशि का योगदान करना आवश्यक था जैसा कि प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा बनाए गए लेखे में दर्शाया गया है। तदनुसार, राज्य सरकार ने उन सिफारिशों के संदर्भ में ₹ 27.42 करोड़ (वर्ष 2020-21 की शुरुआत में ₹ 5,484.55 करोड़ की बकाया गारंटियों का 0.5 प्रतिशत) का न्यूनतम वार्षिक योगदान नहीं किया। इन निधियों का निवेश आर0बी0आई0 द्वारा किया जाना है।

2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन सरकार के ऋण के प्रबंधन के लिए एक रणनीति को स्थापित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है जिससे आवश्यक मात्रा में धन जुटाया जा सके, इसके जोखिम और लागत उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, और किसी भी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा किया जा सके जो सरकार ने अधिनियमन या किसी अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित किया गया हो।

31 मार्च 2021 को राज्य सरकार का बकाया ऋण ₹ 2,27,195.49 करोड़ (आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम और लोकलेखा देयताएँ) था। पिछले वर्ष की तुलना में बकाया ऋण में 17.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो जी0एस0डी0पी0 (4.14 प्रतिशत) की वृद्धि दर से अधिक थी। बकाया ऋण के ₹ 2,27,195.49 करोड़ में से, ₹ 39,359.93 करोड़ ने कोई ब्याज दायित्व नहीं निभाया (ब्याज रहित जमा राशियां ₹ 39,359.92 करोड़ और ब्याज रहित आरक्षित निधि ₹ 0.01 करोड़), जिनमें से ₹ 24,864.64 करोड़ नकद शेष राज्य सरकार के पास उपलब्ध था। पिछले वर्ष की इसी स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2021 तक देनदारियों और परिसंपत्तियों का एक सार तालिका 1.4 में दिया गया है, राज्य के बकाया ऋण का प्रवृत्ति विश्लेषण चार्ट 2.14 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.14: बकाया ऋण बनाम जी0एस0डी0पी0



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और एम0ओ0एस0पी0आई0)

2.6.1 ऋण की रूप रेखा: घटक

राज्य सरकार के कुल ऋण का गठन आमतौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, आर0बी0आई0 से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ और वित्तीय संस्थानों से ऋण, आदि), केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम और लोक लेखा से होता है।

तालिका 2.33: घटक वार ऋण प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बकाया कुल ऋण	1,38,721.50	1,56,776.77	1,68,921.33	1,93,381.85	2,27,195.51
लोक ऋण					
आंतरिक ऋण	96,595	1,04,524.76	1,14,359.69	1,36,082.09	1,59,557.50
भारत सरकार से ऋण	9,595.81	10,181.92	11,785.37	12,098.16	17,657.35
लोक लेखे पर देयताएँ	32,530.69	42,070.09	42,776.27	45,201.60	49,980.66
बकाया समग्र ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	18.99	13.02	7.75	14.48	17.49
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)	4,21,051	4,68,746	5,27,976	5,94,016	6,18,628
ऋण/जी.एस.डी.पी. (प्रतिशतता)	32.95	33.45	31.99	32.55	36.09 [#]
कुल ऋण प्राप्तियाँ	72,845.19	59,412.45	73,806.02	94,193.12	1,08,432.31
कुल ऋण पुनर्भगतान	50,701.29	41,357.18	61,661.46	69,732.59	74,618.65
कुल उपलब्ध ऋण	22,143.90	18,055.27	12,144.56	24,460.53	33,813.64
ऋण पुनर्भगतान/ऋण प्राप्तियाँ (प्रतिशतता)	69.60	69.61	83.55	74.03	68.82

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और एम.ओ.एस.पी.आई.)

[#] वित्त लेखों के अनुसार ऋण-जी0एस0डी0पी0 अनुपात 36.73 प्रतिशत है। हालाँकि, जी0एस0डी0पी0 अनुपात के लिए प्रभावी ऋण की गणना बकाया समग्र ऋण से ऋण प्राप्तियों के तहत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 3,905 करोड़ के जी0एस0टी0 क्षतिपूर्ति को छोड़कर की गई है।


प्रभावी बकाया समग्र ऋण ₹ 2,23,290.51 करोड़ होगा क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि ऋण प्राप्तियों के तहत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में राज्य को दिए गए ₹ 3,905 करोड़ के जी0एस0टी0 क्षतिपूर्ति को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- 2016-21 के दौरान बकाया ऋण और जी0एस0डी0पी0 अनुपात 31.99 प्रतिशत से 36.09 प्रतिशत के बीच रहा। राज्य का कुल ऋण पिछले पाँच साल से बढ़ रहा है। प्रमुख घटक आंतरिक ऋण (70 प्रतिशत) था जिसमें बाजार उधारी शामिल है।
- ऋण का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात बी0एफ0आर0बी0एम0, 2020 में निर्धारित नहीं किया गया था, जबकि जी0एस0डी0पी0 के संबंध में राज्य के सांकेतिक ऋण पथ को पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में परिभाषित (41.2 प्रतिशत) किया गया है। राज्य का अनुपात वित्त आयोग सीमा के भीतर था।
- लोक लेखा की बकाया देनदारियाँ भी पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी हैं जो कि जी0एस0डी0पी0 का 8.08 प्रतिशत और कुल बकाया ऋण का 21.99 प्रतिशत थी।
- बकाया समग्र ऋण 17.49 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा था। 2020-21 के दौरान, राज्य को 2004-05 के बाद से दूसरी बार राजस्व घाटे का सामना करना पड़ा और इसकी भरपाई लोक ऋण से की गई है।

चार्ट 2.15: घटक वार ऋण प्रवृत्तियाँ


(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 2.16: अदायगी की तुलना में लिया गया आंतरिक ऋण

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 2.34: राजकोषीय घाटे के घटक और इसके वित्तीय प्रतिरूप

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजकोषीय घाटे की संरचना					
1 राजस्व अधिशेष (+) / घाटा (-)	10,819.81	14,823.01	6,896.65	(-1,784.13)	(-11,325.11)
2 निवल पूँजीगत व्यय	27,208.40	28,906.95	21,058.25	12,303.90	18,208.60
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	90.56	220.90	(-354.84)	635.90	293.54
राजकोषीय घाटे का वित्तीय प्रतिरूप					
1 बाजार उधारी	16,804.96	8,908.00	10,903.07	22,572.54	24,684.91
2 भारत सरकार से ऋण	757.51	586.11	1,603.45	312.79	5,559.19
3 एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	(-1,713.12)	(-1,768.75)	(-1,819.02)	(-1,888.35)	(-1,888.35)
4 वित्तीय संस्थानों से ऋण	1,512.84	790.51	750.88	1,038.22	678.85
5 छोटी बचत, पीएफ, आदि	99.63	(-80.25)	277.8	190.40	166.29
6 जमा और अग्रिम	5,393.40	10,314.32	331.52	1,711.99	4,260.96
7 उचंचत और विविध	(-5,666.65)	(-3,813.95)	1,793.23	(-8,509.14)	(-5,071.12)
8 प्रेषण	(-7.05)	(-2.76)	76.05	(-796.50)	798.44
9 आरक्षित निधि	(-712.03)	(-696.39)	0	522.95	351.80
10 समग्र घाटा	16,469.49	14,236.84	13,916.98	15,154.90	29,540.96
11 नकद शेष में वृद्धि / कमी	9.66	68	(-110.22)	(-430.95)	286.28
12 सकल राजकोषीय घाटा	16,479.15	14,304.83	13,806.76	14,723.93	29,827.25

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2020-21 के लिए बिहार (असाधारण) राजपत्र अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2021 के माध्यम से राजकोषीय घाटे का लक्ष्य और वार्षिक उधार सीमा बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम, 2006 (संशोधन 2021) की धारा 9 की उप-धारा 2 (बी) (1) में निर्धारित सीमा से दो प्रतिशत अधिक तक बढ़ाई जाएगी। राजकोषीय घाटा (एफ0डी0), मात्रात्मक और तुलनात्मक दोनों रूप में, जी0एस0डी0पी0 के लिए 4.82 प्रतिशत था जो कि पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा 5.00 प्रतिशत के भीतर था। बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य 2.97 प्रतिशत रखा गया था। 2020-21 के दौरान, पूँजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 47.99 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो दर्शाता है कि एफ0डी0 से उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण वर्तमान वर्ष में अपेक्षाकृत अधिक था।

2.6.2 ऋण की रूप रेखा: परिपक्वता और पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान की रूपरेखा सरकार की ओर से ऋण पुनर्भुगतान या ऋण शोधन के लिए प्रतिबद्धता दर्शाती है।

तालिका 2.35: राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की परिपक्वता रूप रेखा

पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता (लोक ऋण के सापेक्ष)
0-1	7,035.28	3.82
1-3	22,132.78	12.02
3-5	42,929.24	23.32
5-7	41,540.16	22.57
7 एवं अधिक	70,421.74	38.26
dy	1,84,059.20	100.00

(स्रोत: वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य का 60 प्रतिशत से अधिक ऋण पाँच और उससे अधिक वर्षों के लिए बकाया है। राज्य के ऋणों की परिपक्वता रूपरेखा उसके पुनर्भुगतान भार में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाती है। ऋण परिपक्वता रूपरेखा को चार्ट 2.17 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.17: ऋण परिपक्वता रूप रेखा



(स्रोत: वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे)

ऊपर दिखाए गए ऋण परिपक्वता रूपरेखा से स्पष्ट है कि ₹ 72,097.3 करोड़ की राशि अगले पाँच वर्षों में देय हो रही है, और सरकार को उसी के अनुसार पुनर्भुगतान के प्रावधान करने होंगे।

2.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण (डी0एस0ए0)

ऋण स्थिरता भविष्य में अपने ऋणों को चुकाने के लिए राज्य की क्षमता को इंगित करती है। राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अलावा, विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करते हैं। तालिका 2.36 जो 2016-21 की अवधि के लिए ऋण स्थिरता के संकेतकों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.36: ऋण स्थिरता संकेतकों में प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरता संकेतक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बकाया लोक ऋण*	1,06,190.81	1,14,706.68	1,26,145.06	1,48,180.25	1,77,214.85
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर	19.55	8.02	9.97	17.47	19.59
जी0एस0डी0पी0	4,21,051	4,68,746	5,27,976	5,94,016	6,18,628
जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर	13.31	11.33	12.64	12.51	4.14
ऋण/जी0एस0डी0पी0	25.22	24.47	23.89	24.95	28.65
राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता प्रोफाइल – डिफॉल्ट इतिहास सहित, यदि कोई हो	4,214.57	4,653.55	7,229.82	7,109.83	6,880.47
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.67	7.73	7.68	7.58	7.67
राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत	7.09	7.27	7.02	8.37	9.74
ऋण प्राप्ति के लिए ऋण पुनर्भुगतान का प्रतिशतता	19.53	35.34	38.73	24.39	19.16
राज्य को उपलब्ध निवल ऋण [#]	9,881.42	(-)24.97	2,190.02	11,631.63	17,446.64
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल ऋण	45.8	(-)0.19	11.73	39.91	48.58
ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक घाटा)	5.64	3.6	4.96	4.93	(-)3.53

ऋण स्थिरता संकेतक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
क्वांटम स्प्रेड	5,989.16	4,129.44	6,256.79	7,305.29	-6,255.68
प्राथमिक घाटा	-8,288	-5,251	-3,736	-3,733	-17,343
ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक घाटा)	-2,298.84	-1,121.56	2,520.79	3,572.29	-23,598.68

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

* बकाया लोक ऋण शीर्ष 6003- आंतरिक ऋण और 6004- केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम के तहत बकाया शेष राशि का योग है।


राज्य सरकार को उपलब्ध निवल ऋण की गणना, लोक ऋण भुगतान पर लोक ऋण प्राप्तियों की अधिकता और लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के रूप में की जाती है।

स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ब्याज दर या सार्वजनिक उधार की लागत से अधिक हो जाती है, तो ऋण-जी0एस0डी0पी0 अनुपात स्थिर होने की संभावना है, बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या सकारात्मक हो या मध्यम नकारात्मक हो। ब्याज स्प्रेड (जी. एस.डी.पी. वृद्धि - ब्याज दर) और क्वांटम स्प्रेड (ऋण x ब्याज स्प्रेड) को देखते हुए, ऋण स्थिरता की स्थिति में कहा गया है कि अगर प्राथमिक घाटा के साथ-साथ क्वांटम स्प्रेड शून्य है, तो ऋण जी0एस0डी0पी0 अनुपात स्थिर रहेगा, या ऋण अंततः स्थिर हो जाएगी। दूसरी ओर, यदि क्वांटम स्प्रेड के साथ प्राथमिक घाटा नकारात्मक हो जाता है, तो ऋण-जी0एस0डी0पी0 अनुपात बढ़ रहा होगा और यदि यह सकारात्मक है, तो ऋण-जी0एस0डी0पी0 अनुपात अंततः गिर जाएगा।

तालिका 2.36 से देखा जा सकता है कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान, 2020-21 को छोड़कर, सभी चार वर्षों में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर (जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर) ब्याज दर या लोक ऋण की लागत से अधिक हो गई। तथापि, प्राथमिक शेष (प्राथमिक घाटा) ऋणात्मक रहा जिसके परिणामस्वरूप ऋण स्थिरीकरण की आवश्यक शर्त पूरी नहीं हुई।

वर्ष 2020-21 में प्राथमिक घाटा, क्वांटम स्प्रेड और प्राथमिक घाटा का योग और लोक ऋण का जी0एस0डी0पी0 अनुपात सबसे अधिक था, जो चिंता का विषय है। यदि प्राथमिक घाटे की तुलना में मात्रा का क्वांटम स्प्रेड नकारात्मक बना रहता है, तो इसके परिणामस्वरूप आने वाले वर्षों में ऋण अस्थिर हो सकता है। ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्तियों का विवरण चार्ट 2.18 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.18: ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपरोक्त चार्ट से पता चलता है कि ऋण प्राप्ति से ऋण भुगतान का प्रतिशत पिछले वर्ष से घट रहा है जो इंगित करता है कि राज्य के पास अपने उपयोग के लिए अधिक ऋण निधि है और निधि की इस तरलता का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता था। लोक ऋण की वृद्धि दर वर्ष के दौरान जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर से अधिक है।

2.7.1 उधार ली गई धनराशि का उपयोग

उधार ली गई धनराशि का उपयोग आदर्श रूप से पूँजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई धनराशि का उपयोग स्वीकार्य नहीं है। उधार ली गई निधियों का उपयोग नीचे तालिका 2.37 में दिखाया गया है।

तालिका 2.37: उधार ली गई धनराशि का उपयोग

(₹ करोड़ में)


वर्ष		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल उधारी	2	72,845.19	59,412.45	73,806.02	94,193.12	1,08,432.31
पहले के उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन)	3	50,701.29	41,357.18	61,661.46	69,732.59	74,618.65
निवल पूँजीगत व्यय	4	27,208.40	28,906.95	21,058.25	12,303.90	18,208.60
निवल ऋण एवं अग्रिम	5	90.56	220.90	(-)354.84	635.90	293.54
निवल उपलब्ध उधारों में से राजस्व व्यय का एक भाग पूरा किया गया	6 = 2-3-4-5	(-) 5,155.06	(-) 11,072.58	(-) 8,558.85	11,520.73	15,311.52

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि राज्य के कुल उधार का बड़ा हिस्सा पहले के उधारों के पुनर्भुगतान और पूँजीगत व्यय पर खर्च किया गया है, लेकिन 2020-21 के दौरान, राज्य के राजस्व व्यय पर ₹ 15,311.52 करोड़ की राशि खर्च की गई है जो निवल उपलब्ध उधारों से पूरा किया गया। उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्तियों को चार्ट 2.19 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.19: उधार ली गई धनराशि के उपयोग की प्रवृत्ति

(प्रतिशत में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य के 68 प्रतिशत से अधिक ऋण का उपयोग पिछले पाँच वर्षों से पूर्व के ऋणों की अदायगी के लिए किये जा रहे हैं जो चार्ट 2.19 से स्पष्ट है। यह उधार ली गई धनराशि के पूँजीगत व्यय के उपयोग के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है। चार्ट पूँजीगत व्यय के लिए उधार ली गई धनराशि का कम उपयोग करने की प्रवृत्ति को दिखाता है, हालांकि 2019-20 की तुलना में 2020-21 में थोड़ी वृद्धि हुई थी। वर्ष 2020-21 के लिए, राज्य के राजस्व घाटे के आलोक में, उधार ली गई धनराशि का 14.12 प्रतिशत राजस्व व्यय के रूप में उपयोग किया गया है।

2.7.2 गारंटियों की स्थिति – आकस्मिक देयताएँ

गारंटियाँ, उधारकर्ता द्वारा चूक की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक देनदारियाँ हैं, जिनके लिए गारंटी दी गई। राज्य सरकारें गारंटियों की अधिकतम सीमा के संबंध में कानून या निर्देश लेकर आई हैं। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों में, सरकारी गारंटी को दूसरे पूर्ववर्ती वर्ष के राज्य के कर और करेतर राजस्व के एक निश्चित प्रतिशत तक सीमित किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ तालिका 2.38 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 2.38: राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ

गारंटियाँ	(₹ करोड़ में)				
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
ब्याज सहित गारंटियों की बकाया राशि पर लागू सीमा (मानदंड)	13,459.21	20,581.52	21,181.52	21,181.52	25,113.74
ब्याज सहित गारंटियों की बकाया राशि	4,637.62	5,271.70	5,501.86	5,484.56	16,407.71

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

गारंटीकृत बकाया राशि में ऊर्जा (₹ 10,435.04 करोड़), सहकारी समितियों (₹ 1,882.87 करोड़), बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम (₹ 4,027.62 करोड़), बिहार राज्य वित्तीय निगम (₹ 29.97 करोड़), बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (₹ 31.61 करोड़) और अन्य (₹ 0.60 करोड़) शामिल थी। ।

लोक क्षेत्र उपक्रम को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, राज्य सरकार भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन गारंटी देती है। इस प्रकार की गारंटी देने के लिए गारंटी शुल्क लिया जाता है। लोक क्षेत्र के उपक्रम, ₹ 10 लाख से अधिक की गारंटी राशि पर सालाना 1/8 प्रतिशत की दर से गारंटी शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। गारंटी शुल्क की वसूली के लिए गारंटी समझौते में कोई खंड नहीं था। बिहार सरकार ने भी लोक क्षेत्र के उपक्रमों से गारंटी शुल्क का दावा नहीं किया। हालांकि, 2020-21 में केवल एक कंपनी (बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम) से ₹ 4.25 करोड़ का गारंटी शुल्क प्राप्त हुआ था।

2.7.3 नकद शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद शेष ₹ 1.73 करोड़ बनाए रखना होगा। यदि किसी दिन शेष राशि सहमत न्यूनतम से कम हो जाती है, तो समय-समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू0एम0ए0)/विशेष अर्थोपाय अग्रिम (एस0डब्ल्यू0एम0ए0)/ओवरड्राफ्ट (ओ0डी0) लेकर कमी को पूरा किया जाता है। राज्य सरकार के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित की जाती है। 1 अप्रैल 2006 से यह सीमा ₹ 425.00 करोड़ तक सीमित थी।

राज्य सरकार अपने अधिशेष नकद शेष को भारत सरकार की लघु और दीर्घकालिक प्रतिभूतियों और राज हंडियों में निवेश करती है। इस तरह के निवेश से प्राप्त लाभ को '0049-ब्याज प्राप्ति' शीर्ष के

तहत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है। नकद शेष राशि को समेकित निक्षेप निधि/गारंटी मोचन निधि में भी निवेश किया जाता है।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य सरकार बड़े नकद शेष होने के बावजूद बाजार ऋण का सहारा लेती है जिससे नकद शेष राशि को उत्पादकता संबंधी उपयोग में लाए बिना और अधिक अभिवृद्धि होती है। नकद शेष राशि और उनके निवेश और नकद शेष निवेश लेखों का विवरण क्रमशः तालिका 2.39 और 2.40 में दिखाया गया है।

तालिका 2.39: नकद शेष और उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2021 को अंत शेष
अ. सामान्य नकद शेष		
कोषागार में नकद	-	-
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	588.07	301.79
अन्य बैंकों में जमा	-	-
पारगमन में प्रेषण – स्थानीय	-	-
नकद शेष निवेश लेखे में धारित निवेश	17,588.74	17,826.65
कुल (अ)	18,176.81	18,128.44
ब. अन्य नकद शेष और निवेश		
विभागीय अधिकारियों अर्थात् लोक निर्माण, वन अधिकारियों के पास नकद	234.65	234.65
विभाग के अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	760.97	761.43
निर्धारित निधि में निवेश	5,740.22	5,740.12
कुल (ब)	6,735.84	6,736.20
कुल (अ+ब)	24,912.65	24,864.64
ब्याज प्राप्तियाँ	938.84	174.57

(स्रोत: वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे)

यह इंगित करता है कि राज्य ने एक ही समय में एक राजकोषीय घाटे वाले राज्य होने के साथ-साथ नियमित आधार पर बड़े नकद शेष को बनाए रखा है।

- "आर0बी0आई0 के पास जमा" शीर्ष के तहत शेष राशि की गणना 11 अप्रैल 2021 तक आर0बी0आई0 को सूचित वित्तीय वर्ष 2020-21 के लेन-देन से संबंधित अंतर सरकारी मौद्रिक निपटान को ध्यान में रखते हुए की जाती है।
- सरकार ने ₹ 17,822.00 करोड़ की नकद शेष राशि का भारत सरकार की प्रतिभूतियों में और ₹ 4.65 करोड़ अन्य राज्यों की प्रतिभूतियों में निवेश किया। इन निवेशों पर सरकार ने वर्ष के दौरान ₹ 174.57 करोड़ का ब्याज अर्जित किया।
- सरकार ने पूरे वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिना कोई अग्रिम लिए नकद शेष को बनाए रखा है और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 286.28 करोड़ की कमी हुई है।

2016-17 से 2020-21 तक नकद शेष निवेश लेखे का विवरण तालिका 2.40 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.40: नकद शेष निवेश खाता (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंत शेष	वृद्धि(+)/ कमी(-)	अर्जित ब्याज
2016-17	8,199.24	13,001.71	4,802.47	804.44
2017-18	13,001.71	17,395.63	4,393.92	799.82
2018-19	17,395.63	14,791.80	(-),2,603.83	909.08
2019-20	14,791.80	17,588.74	2,796.94	938.84
2020-21	17,588.74	17,826.65	237.91	174.57

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- 2016-21 के दौरान राज्य के नकद शेष निवेश के प्रवृत्ति विश्लेषण से पता चला कि 2020-21 में निवेश उल्लेखनीय रूप से बढ़ा और बजट अनुमान (प्राप्ति) का 9.56 प्रतिशत रहा।
- बाजार ऋण उच्च ब्याज दरों पर लिए गए जबकि राज ङुंडियों में निवेश से कम दरों पर ब्याज प्राप्त हुआ। प्रतिभूतियों में निवेश को परिपक्वता से पहले प्राप्त करना, वर्ष के दौरान अर्जित कम ब्याज का कारण था।

वर्ष 2016-17 से 2020-21 के लिए नकद शेष निवेश खाते में उपलब्ध नकद शेष के साथ जुटाए गए बाजार ऋण की तुलना चार्ट 2.20 में की गई है।

चार्ट 2.20: नकद शेष की तुलना में बाजार ऋण




(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

नकद शेष निवेश लेखे में ₹ 17,826.65 करोड़ की अंतिम शेष राशि होने के बावजूद सरकार ने बाजार ऋण का सहारा लिया। इस वर्ष के लिए बाजार ऋण ₹ 24,684.91 करोड़ था। उल्लेखनीय है कि नकद शेष निवेश खाता में राशि संचयी होती है। नकद शेष निवेश खाते में निवेशित नकद शेष की तुलना में उपलब्ध माहवार नकद शेष राशि को चार्ट 2.21 में दिखाया गया है।

चार्ट 2.21: वर्ष के दौरान नकद शेष राशि और शुद्ध नकद शेष निवेश का माहवार संचालन

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2020-21 के मासिक सिविल लेखे)

ऊपर दिए गए चार्ट से पता चलता है कि अंतिम नकद शेष पूरे साल लगभग एक समान था लेकिन फरवरी के महीने में सबसे अधिक था क्योंकि इसी अवधि में भारत सरकार से अधिकांश निधियाँ (70 प्रतिशत) प्राप्त हुई थी। इसके अलावा, मार्च 2021 भी यह दर्शाता है कि राज्य द्वारा इस अवधि में नकदी अधिशेष के कारण नकद शेष निवेश खातों को नामे किया था।

2.8 निष्कर्ष

घाटा संकेतक, राजस्व वृद्धि और व्यय प्रबंधन सरकार के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करने के लिए प्रमुख मानदंड हैं।

सकारात्मक संकेतक	नकारात्मक संकेतक
राजकोषीय घाटा पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान के भीतर था।	राज्य के प्राथमिक घाटे में वृद्धि
राज्य के अपने संसाधनों (कर और करेत्तर राजस्व) में थोड़ी वृद्धि हुई है।	एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम की सीमा से अधिक जी0एस0डी0पी0-ऋण के अनुपात का बढ़ना।
भारत सरकार की ओर से मिलने वाली अनुदान राशि में वृद्धि हुई है।	बिगड़ते ऋण स्थिरता संकेतक
निक्षेप निधि निवेश खाते में निवेश बढ़ा दिया गया है।	गारंटी मोचन निधि का निर्माण न करना।
	प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि
	नकद शेष का संघारण

2.9 अनुशंसाएँ

वित्त विभाग को समीक्षा करनी चाहिए

- बजट तैयार करने की प्रणाली, ताकि बजट अनुमानों और वास्तविक के बीच की खाई को पाटा जा सके।

- यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार करें कि बकाया राजस्व को शीघ्रता से एकत्र किया जा सके ताकि राजकोषीय घाटे के कारण राज्य के बोझ को कम किया जा सके।
- यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारी अंशदान की कटौती पूरी तरह से काटी जाती है, जो सरकारी योगदान से पूरी तरह मेल खाती है, और समय पर पूरी तरह से एन0एस0डी0एल0 को हस्तांतरित की जाए।
- परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। सभी अधूरी परियोजनाओं के संशोधित अनुमानों को प्राथमिकता के आधार पर तैयार और अनुमोदित किया जाना चाहिए ताकि इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक निधियों का वास्तविक मूल्यांकन किया जा सके।
- ऐसी संस्थाओं में कोई निवेश नहीं किया जाना चाहिए जिनका वित्तीय प्रदर्शन पूँजी की उधार लागत को भी पूरा नहीं करता है। इसी तरह, उन संस्थाओं को कोई ऋण नहीं दिया जाना चाहिए जिनके लेखे बकाया थे।
- ऋणों के पुनर्गठन पर ध्यान देना चाहिए ताकि ब्याज भुगतान बजटीय राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के भीतर आ सके।